1 3657/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1477.020 T

B 677301

Advocate Collectorate Gkp.

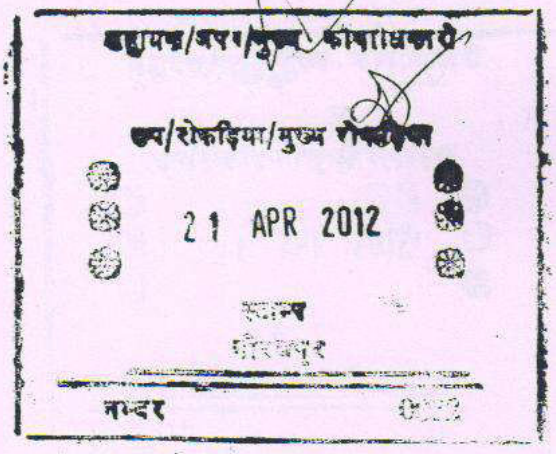

21 APR 2012

नम्बर

क्रेता का पैन कार्ड संख्या AADTS 7503D.

कीमत – रुपया 2,11,00,000/–

विक्रेता – राजीव कुमार गुप्ता

विक्रेता

क्रेता

क्र-1842 किया 25000 दिनांक 25-4-2012 सरस्वती शिशु मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर - उन्नाव द्वारा क्रय

शुभ ...
कोषागार

रु 2,11,00,000 —

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677302

Advocate

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी
उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया
21 APR 2012
गोरखपुर

क्रेता – सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर उत्तरी गोरखपुर

मुहल्ला– अलीनगर उत्तरी

भूमि का दर –रूपया 9000/–प्रति वर्ग मीटर

विक्रेता

क्रेता

क्र 1043 दिनांक 25000 रु-10428

नगर - गोरखपुर

र १०४४ क्रेता २५००० र १०४२६

...बाजार — गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677303

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी
उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया
21 APR 2012
गोरखपुर

टिन शेड निर्माण का दर –रूपया 5500/– प्रति वर्ग मीटर

आर0 वी0 सी0 मकान का दर –रूपया 6500/– प्रति वर्ग मीटर

भूमि का मूल्यांकन रुपया 1,17,54,000/–

टीनशेड क्षेत्र से आच्छादित क्षेत्रफल 638.289 वर्ग मीटर

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677304

टीनशेड से आच्छादित क्षेत्रफल का मूल्यांकन रूपया 3511000 /—
आर0 बी0 सी0 छत से आच्छादित क्षेत्रफल 509.293 वर्ग मीटर
आर0बी0सी0 छत से ढके क्षेत्रफल का मूल्यांकन रू0 3311000 /—
कुल सरकारी मालियत रूपया 1,85,76,000 /—

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677305

स्टैम्प 14,77,000/-

हम कि **राजीव कुमार गुप्ता** पुत्र स्व0 तीरथराम गुप्ता निवासी मुहल्ला अलीनगर उत्तरी पोस्ट

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677306

कोषाधिकारी

21 APR 2012

गोरखपुर

आफिस सदर, तप्पा कस्बा, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर का हूँ।

ज्ञात हो कि पिता हम मुकिर स्व0 तीरथराम गुप्ता पुत्र चतुर राम ने आराजी संख्या 78/2

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677307

अध्यक्ष/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर

रकबा 5100 वर्गफीट स्थित मोहल्ला अलीनगर उत्तरी शहर गोरखपुर को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.10.1969 / 04.11.1969 के द्वारा श्री मुरारीलाल मुरारका पुत्र श्री मखनलाल मुरारका से खरीदा था तथा आराजी

विक्रेता

क्रेता

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677308

संख्या 78/2 रकबा 9 डिसमिल स्थित मोहल्ला अलीनगर उत्तरी शहर गोरखपुर को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 4–12–70 के द्वारा श्री अजीजुल हक पुत्र श्री मसुदुल हक से खरीदा था तथा उसी के बाद जरिये

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677309

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24–12–1971 के द्वारा अपनी उक्त खरीदी गई भूमि के सटे दक्षिण आराजी संख्या 38, 39, 76 वो 78 का रकबा 8174 वर्ग फुट श्री मुरारी लाल मुरारका पुत्र श्री मक्खन लाल मुरारका से

विक्रेता

क्रेता

गवाह

गवाह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677310

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

खरीदा था और उसके तत्काल बाद जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27–12–1971 के श्री अजीजुल हक द्वारा खरीदी गई भूमि से लगी हुई भूमि रकबा 3 डिसमिल श्री वासदेव मिश्र पुत्र श्री जगरनाथ प्रसाद मिश्र से खरीदा

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677311

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

गोरखपुर

था और इन सभी खरीदी हुई भूमि पर वतौर मालिक के काबिज दखील कायम रहे। बाद में पिता हम मुकिर श्री तीरथराम गुप्ता ने श्री मुरारी लाल मुरारका से खरीदी हुई भूमि में से रकबा 4454.45 वर्गफुट अन्दर आराजी संख्या

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 2500 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677312

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर

38, 39, 76 वो 78 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 22–6–1972 को सरस्वती विद्या मन्दिर अलीनगर उत्तरी शहर गोरखपुर को बेंच दिया था तथा शेष अपनी हासिलसुदा भूमि पर बतौर मालिक के काबिज दखील रहे

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677313

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

तथा इसी भूमि पर निर्माण कायम किया तथा किये गये निर्माण वो उससे लगी भूमि का नम्बर नगर महापालिका जो कि अब नगर निगम है में संख्या 8 है और तीरथ मैरेज होम के नाम से जाना वो पुकारा जाता है (जो अब

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677314

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

रूप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

29 MAR 2012

गोरखपुर

बन्द है व बशक्ल खण्डहर है) पिता हम मुकिर के मृत्यु हो जाने पर हम मूकिर के भाई सन्तोष कुमार, श्री संजीव कुमार, वो हम मुकिर की मॉ श्रीमती सन्नो देवी सभी सम्पत्तियों जिसमें कि मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल

विक्रेता

क्रेता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677315

मय भूमि के संयुक्त मालिकान हो गये और संयुक्त मालिकान के रुप में काबिज दखील कायम रहे चूंकि हम मुकिर वो हम मुकिर के भाईयों का परिवार बढ़ गया था इस कारण मुकिर, मुकिर के भाई लोग वो मॉ ने मिलकर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677316

21 APR 2012

गोरखपुर

नम्बर 0032

आपसी सहमति से सभी सम्पत्तियों वो कारोबार का बॅटवारा दिनांक 30–11–2005 को कर लिया था और उक्त आपसी सहमति से किये गये बॅटवारे से जो भी सम्पत्ति वो कारोबार जिसे – जिसे मिला था तभी से

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677317

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

2012

अलग – अलग बतौर मालिक के काबिज रहे। उक्त आपसी हुए बँटवारा के द्वारा मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल मय भूमि हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल तनहा हम मुकिर को मिला था और तभी से हम मुकिर बतौर तनहा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677318

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी

2 APR 2012

मालिक के काबिज दखील कायम रहे। आपसी सहमति से हुए बँटवारे जो कि पहले मौखिक रहा था एक याददाश्त विलेख भी दिनांक 5–10–2007 जो हम मुकिर, हम मुकिर के भाईयों एवं माँ द्वारा निष्पादित किया गया था बाद में

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677319

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

कुछ आपसी भ्रम पैदा हो जाने के कारण हम मुकिर के भाई श्री संजीव कुमार ने वाद संख्या 617/2007 संजीव कुमार बनाम सन्तोष कुमार वगैरह अदालत सिविल जज (सी डी) गोरखपुर इस उद्घोषणा के लिये दाखिल कर

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677320

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

नम्बर 0032

दिया था कि आपसी सहमति से जो बॅटवारा दिनांक 30–11–2005 को हुआ था और जिसके सम्बन्ध में याद्दाश्त विलेख दिनांक 5–10–2007 को निष्पादित हुआ था के अनुसार जो सम्पत्ति वो कारोबार उन्हे मिला था के

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677321

सहायक/अपर/मुख्य कार्याधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

2012

सम्बन्ध में उद्‌घोषित कर दिया जावे कि वह उस सम्पत्ति में कारोबार के तनहा मालिक वो काबिज है। दौरान उक्त मुकदमा के पूर्व में हुए आपसी सहमति से हुए बँटवारे दिनांक 30–11–2005 को स्वीकार करते हुए मात्र कुछ

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677322

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

11 APR 2012

संशोधनों के साथ एक दूसरा याददाश्त विलेख दिनांक 26–12–2010 को सभी लोगों द्वारा निष्पादित किया गया और स्पष्ट तौर पर सभी पक्षकारों को बँटवारा में मिले सम्पत्तियों वो कारोबार का स्पष्ट उल्लेख किया गया

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677323

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी
उप/रोकड़िया/मुख्य टिकट लिपिक
21 APR 2012
स्टाम्प
गोरखपुर
नम्बर 0032

जिसके द्वारा भी मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल मय भूमि हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल जिसे कि इस विक्रय विलेख के साथ संलग्न नक्शा में अक्षर ABCD से दर्शित किया जा रहा है तनहा हम मुकिर को मिलना वो उस पर

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677324

21 APR 2012

0032

हम मुकिर का कब्जा दखल वतौर तनहा मालिक के कायम चला आना माना गया था बादहू उक्त वाद में हम मुकिर, हम मुकिर के भाईयों वो माता के द्वारा याददाश्त विलेख दिनांक 26–12–2010 को आधार मानते हुए

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677325

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

2? APR 2012

स्थान
गोरखपुर

सुलहनामा दिनांक 29—4—2011 को दाखिल किया गया था और बादहू दिनांक 28—5—2011 को सभी पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त दाखिल सुलहनामा को अदालत के समक्ष स्वीकार करके सत्यापित

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677326

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

किया वो तद्नुसार उक्त मुकदमा निर्णित हुआ। मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल मय भूमि हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल वाका मुहल्ला अलीनगर उत्तरी शहर गोरखपुर जिसे कि संलग्न नक्शा मे अक्षर ABCD से

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677327

21 APR 2012

स्टाम्प गोरखपुर

दर्शित किया गया है कि मालिक वो काबिज हम मुकिर हूँ और हम मुकिर के अतिरिक्त अन्य किसी से भी इस सम्पत्ति के स्वामित्व वो कब्जा से कोई भी वास्ता वो सरोकार नही है। हम मुकिर को अपने तनहा स्वामित्व की

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677328

इस सम्पत्ति को प्रत्येक प्रकार से हस्तानान्तरित करने वो विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हम मुकिर को अपने व्यापार की वृद्धि के लिए एवं परिवार की जरूरतो को पूरा करने के लिये रूपयों की सख्त जरूरत है जिस

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 674124

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

06 FEB 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

कारण से हम मुकिर ने अपनी सम्पत्ति मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल मय भूमि हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल को बेंचने का इरादा जाहिर करते हुये कई लोगों से बातचीत किया। **सरस्वती विद्या मन्दिर महिला**

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 674125

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

06 FEB 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

महाविद्यालय आर्यनगर उत्तरी गोरखपुर द्वारा अध्यक्ष – डा० महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० सरदार मल नांगलिया निवासी नागंलिया अस्पताल, नार्मल रोड, गोरखपुर वो मन्त्री/प्रबन्धक – रामदेव तुलस्यान पुत्र स्व० प्रभुदयाल

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 674126

06 FEB 2012

0032

तुलस्यान निवासी आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता, गोरखपुर वो कोषाध्यक्ष – सज्जन कुमार जालान पुत्र स्व0 प्रेमसुखदास जालान निवासी चन्द्रगुप्तनगर कालोनी, गंगानगर, बशारतपुर, गोरखपुर मुवलिग 2,11,00,000 /–

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677329

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

(दो करोड़ ग्यारह लाख) कीमत हम मुकिर के मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल मय भूमि हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल का देने को तैयार हैं इससे ज्यादा कीमत अन्य कोई भी देने को तैयार नही है कीमत भी बलिहाज

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677330

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

जमाना वो मौका के माकूल वो मुनासिब है इसलिए हम मुकिर अपने मकान संख्या 8 तीरथ मैरेज हाल मय भूमि संलग्न हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल जिसे कि संलग्न नक्शा में अक्षर ABCD से दर्शित किया जा रहा है स्थित

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677331

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/सेक्रेटरी/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

मुहल्ला अलीनगर उत्तरी पोस्ट सदर, तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर मय जूमला सुखाधिकार के वएवज कीमत मुवलिग 2,11,00,000/- (दो करोड़ ग्यारह लाख) जिसका आधा मु0

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677332

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

1,05,50,000/– (एक करोड़ पॉच लाख पचास हजार) होता है वहक वो वदस्त **सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर उत्तरी गोरखपुर** द्वारा अध्यक्ष – डा0 महेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 सरदार मल नांगलिया

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677333

B 677333

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2017

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

निवासी नागंलिया अस्पताल, नार्मल रोड गोरखपुर वो मन्त्री/प्रबन्धक – रामदेव तुलस्यान पुत्र स्व० प्रभुदयाल तुलस्यान निवासी आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता, गोरखपुर वो कोषाध्यक्ष – सज्जन कुमार जालान पुत्र स्व०

विक्रेता

क्रेता

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677334

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

प्रेमसुखदास जालान निवासी चन्द्रगुप्तनगर कालोनी, गंगानगर, बशारतपुर, गोरखपुर.को वेंचा वो वय खत्मी कर दिया और क्रेता को विक्रित सम्पत्ति हस्ब तफसील वो चौहद्दी जैल का पूरा मालिक बनाकर मालिकाना काबिज

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677335

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

दखील करा दिया है और खुद विक्रित सम्पत्ति के समस्त स्वामित्व अधिकार वो कब्जा से पूर्णतया लावास्ता वो लाताल्लूक हो गया हूँ। चाहिए कि क्रेता विक्रित सम्पत्ति पर बराबर बतौर मालिक के काबिज कायम रहकर जिस

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677336

उप/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

गोरखपुर

नम्बर 0032

तरह से चाहे उपयोग वो उपभोग करे तथा जिस भी प्रकार का चाहे निर्माण करे वो जहाँ कहीं भी आवश्यक हो विक्रित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कागजात में हम मुकिर के स्थान पर अपना नाम वतौर स्वामी के दर्ज करा लेवे तथा

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677337

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

आज के बाद का जो कोई भी टैक्स शुल्क इत्यादि विक्रित सम्पत्ति पर अदाय होवे को बतौर मालिक के अदा करते रहे। विक्रित सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के स्वामित्व दोष, हस्तानान्तरण दोष, एवं प्रत्येक प्रकार के भार इत्यादि से

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677338

APR 2012

0032

पूर्णतया मुक्त है। अगर भविष्य में कभी कोई स्वामित्व दोष जाहिर होवे या किसी त्रुटि हम मुकिर के कारण क्रेता विक्रित सम्पत्ति या उसके किसी भी अंश से बेदखल हो जावेंगे तो उस सूरत में क्रेता को अधिकार प्राप्त होगा कि

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677339

मुद्रांक/अप०/मुख्य कोषाधिकारी

रूप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

अपनी कुल रकम कीमत या रकम कीमत मुताबिक परता को अपने समस्त क्षति के साथ मय सूद बाजारी के हम मुकिर से व्यक्तिगत तथा हम मुकिर के अन्य सम्पत्तियों से वसूल लेवें उसमे हम मुकिर या हम मुकिर के किन्ही

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677340

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

रूप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प गोरखपुर

नम्बर 0032

उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस विक्रय विलेख की पूरी पाबन्दी हम मुकिर के उत्तराधिकारियों पर भी कायम रहेगी। हम मुकिर को क्रेता से रकम कीमत जरिये चेक संख्या 857796 दिनांक 28.03.2012 यूको बैंक

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677341

21 APR 2012

0032

द्वारा रुपया 11,00,000/– वो चेक संख्या 859451 दिनांक 27.04.2012 यूको बैंक द्वारा रुपया 1,00,00,000/– वो चेक संख्या 859452 दिनांक 27.04.2012 यूको बैंक द्वारा रुपया 1,00,00,000/– के प्राप्त हो

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677342

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी
उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया
21 APR 2012
स्टाम्प
गोरखपुर
समर 0032

गया है और अब कोई रकम कीमत का पाना क्रेता से बाकी नहीं रह गया है।

वाजा हो कि जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर द्वारा निर्गत मूल्यांकन सूची के अनुसार मुहल्ला

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677343

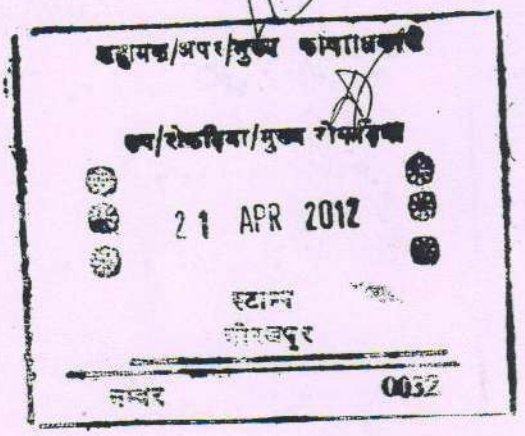

अलीनगर उत्तरी वार्ड संख्या 52 (बावन) में स्थित है वो मुख्य सड़क से लगभग 75 (पचहत्तर) मीटर दूर लगभग 10 (दस) फीट चौड़े रास्ते पर स्थित है नियत दर रुपया 9000/– (नौ हजार) प्रति वर्ग मीटर के अनुसार तहती

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677344

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

APR 2012

जमीन का मूल्यांकन 1,17,54,000/– (एक करोड़ सत्रह लाख चौवन हजार) है व टीनशेड से आच्छादित क्षेत्रफल 6868 (छः हजार आठ सौ अड़सठ) वर्ग फीट यानी 638.289 (छः सौ अड़तीस दशमलव दो आठ नौ) वर्ग मीटर

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677345

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

2 ? APR 2012

गोरखपुर

नम्बर 0032

का रूपया 5500/– (पॉच हजार पॉच सौ) प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन रूपया 35,11,000/– (पैंतीस लाख ग्यारह हजार) होता है व आर0 वी0 सी0 छत से आच्छादित क्षेत्रफल 5480 (पॉच हजार चार सौ अस्सी)

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677346

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

वर्ग फीट यानी 509.293 (पॉच सौ नौ दशमलव दो नौ तीन) वर्ग मीटर का रूपया 6500/— (छः हजार पॉच सौ) प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन रूपया 33,11,000/— (तैंतीस लाख ग्यारह हजार) होता है इस प्रकार विक्रित

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677347

सहायक/अपर/मुख्य कलक्टर

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प गोरखपुर

नम्बर 0032

सम्पत्ति की कुल सरकारी मालियत रूपया 1,85,76,000/– (एक करोड़ पचासी लाख छिहत्तर हजार) हुआ जबकि प्रतिफल की धनराशि रुपया 2,11,00,000/– (दो करोड़ ग्यारह लाख) पर स्टाम्प

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677348

21 APR 2012

शुल्क क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है। हम मुकिर ने विक्रित सम्पत्ति या इसके किसी भी अंश का कोई मुआविदा बय पंजीकृत या अपंजीकृत किसी को भी निष्पादित नही किया है और न ही रेहन या बन्धक किया

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677349

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

मीरजापुर

नम्बर 0032

है और न ही किसी भी प्रकार के बकाया इत्यादि के सम्बन्ध में विक्रित सम्पत्ति को किसी व्यक्ति फर्म,कम्पनी, वित्तीय संस्था, बैंक, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग निगम या न्यायालय को जमानत के रुप में दिया है।

विक्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677350

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

विक्रित सम्पत्ति या इसके किसी भी अंश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग या न्यांयालय में लम्बित नहीं है। विक्रित सम्पत्ति पूर्णतया विवाद रहित है। विक्रित सम्पत्ति अन्दर

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677351

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

रूप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

सीमा नगर निगम वो विकास प्राधिकरण के स्थित है। मुकिर वो क्रेता अनुसूचित जाति या जन जाति के सदस्य नहीं है।

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677352

B 677352

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

0032

इस प्रकार से हम मुकिर ने अपनी स्वेच्छा वो स्वस्थ बुद्धि से विला किसी भी प्रकार के जोर या दबाव के इस विक्रय विलेख को निष्पादित कर दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आ सके।

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677353

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/संकलिया/मुख्य कोषाधिकारी

21 APR 2012

गोरखपुर

नम्बर 0032

तफसील विक्रित सम्पत्ति

मकान संख्या 8(आठ) तीरथ मैरेज हाल मय खुली भूमि अन्दर आराजी संख्या 38(अड़तीस), 39(उनतालीस), 76(छिहत्तर), 78 (अट्ठहत्तर) वो 78/2 (अट्ठहत्तर बटा

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

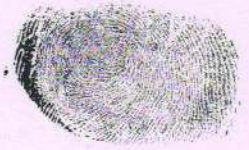

नक्शा नजरी

मकान नम्बर 8, अलीनगर उत्तरी, गोरखपुर

कुल क्षेत्रफल 1305.906 वर्ग मीटर

RBC से आच्छादित क्षेत्रफल 509.293 वर्ग मीटर

टिन शेड से आच्छादित क्षेत्रफल 638.289 वर्ग मीटर

Achyutta Nand Shukla
Advocate

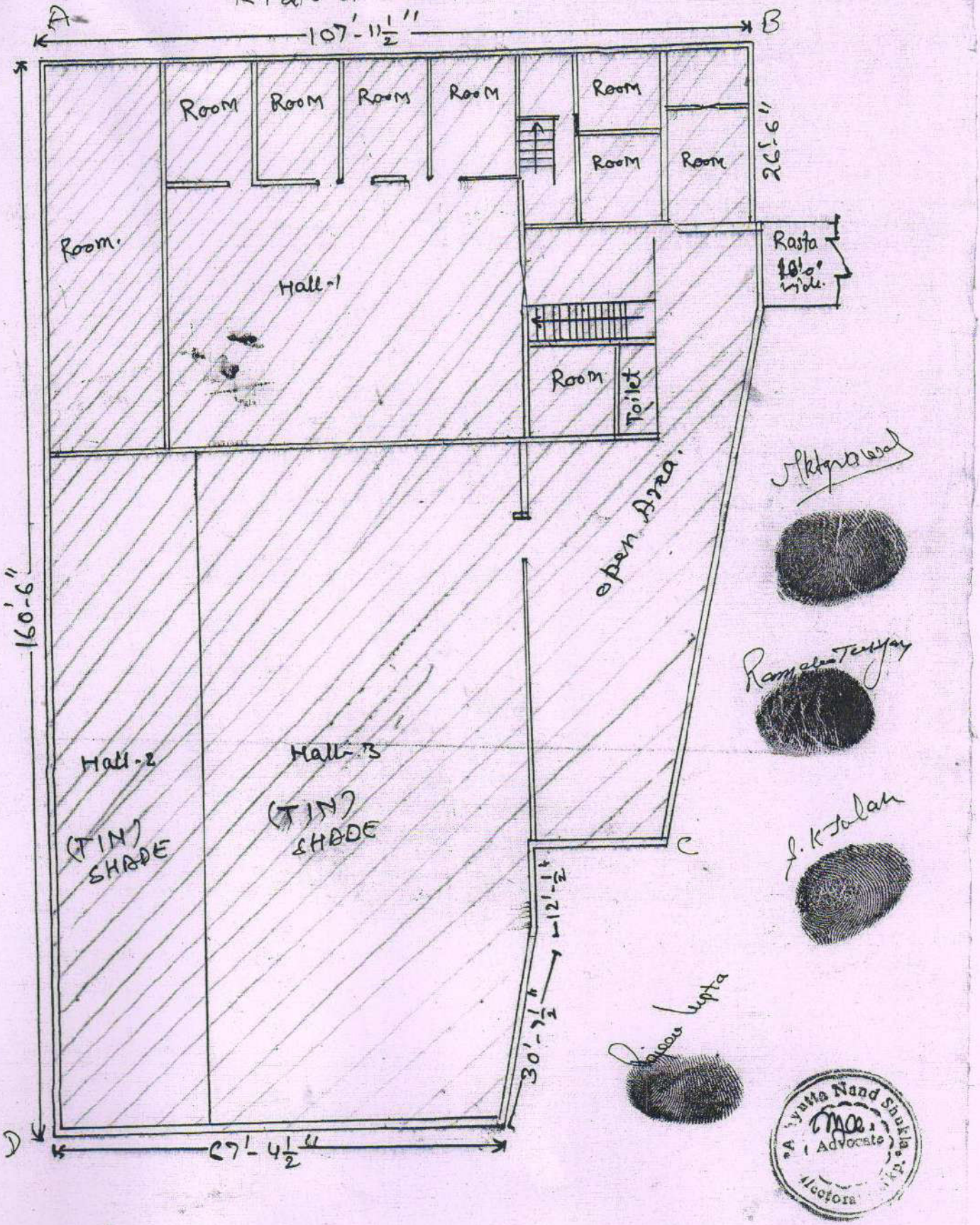

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677354

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

गोरखपुर

0032

दो) स्थित मुहल्ला अलीनगर उत्तरी तप्पा –कस्बा, परगना–हवेली, तहसील– सदर, जिला वो शहर –गोरखपुर कुल क्षेत्रफल. 14051.55 (चौदह हजार इक्यावन दशमलव पॉच पॉच) वर्गफीट यानी 1305.906

विक्रेता

विक्रेता

विक्रय पत्र

21,100,000.00 /	21,100,000.00	10,000.00	20	10,020.00	900
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री द्वारा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री स्व0 सरदार मल नांगलिया
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी नांगलिया अस्पताल नार्मल रोड सदर गो0
अस्थायी पता उक्त
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/4/2012 समय 10:51AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
27/4/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री राजीव कुमार गुप्ता
पुत्र श्री स्व0 तीरथ राम गुप्ता
पेशा व्यापार
निवासी अलीनगर उत्तरी सदर गो0

क्रेता

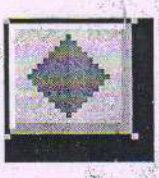

श्री द्वारा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र कुमार अग्रवाल
पुत्र श्री स्व0 सरदार मल नांगलिया
पेशा व्यापार
निवासी नांगलिया अस्पताल नार्मल रोड सदर गो0

श्री द्वारा मंत्री/प्रबन्धक रामदेव तुलस्यान
पुत्र श्री स्व0 प्रभुदयाल तुलस्यान
पेशा व्यापार
निवासी आ0 वि0 का0 बेतियाहाता सदर गो0

श्री द्वारा कोसाध्यक्ष सज्जन कुमार जालान
पुत्र श्री स्व0 प्रेमसुख दास जालान
पेशा व्यापार
निवासी चन्द्रगुप्त नगर का0 गंगानगर बशारतपुर सदर गो0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677355

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

21 APR 2012

नम्बर 0032

(एक हजार तीन सौ पॉच दशमलव नौ शून्य छः) वर्गमीटर जिसे संलग्न नक्शा में अक्षर ABCD से दर्शित किया जा रहा है और चौहद्दी निम्नलिखित है——

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

उप रीकॉर्डिंग
कोषागार — गोरखपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रामशरण लाल
पुत्र श्री स्व0 झकरी प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी नरसिंहपुर सदर गो0
व श्री शिवजी सिंह
पुत्र श्री स्व0 देवी सिंह
पेशा शिक्षक
निवासी सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर सदर गो0
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।
मुकिर ने पैनकार्ड दिखाया

नि0लि0
कमलेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
27/4/2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 677356

सहायक/अपर/मुख्य कोषाधिकारी

उप/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी

21 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर 0032

चौहद्दीः–

पूरब– सम्पत्ति क्रेता व रास्ता 10 फीट चौड़ा।

पश्चिम– सम्पत्ति सरस्वती विद्या मन्दिर।

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

उप रोकड़िया
कोषागार — गोरखपुर

विक्रेता

Registration No.: 3657 Year : 2,012 Book No. : 1

0101 राजीव कुमार गुप्ता

स्व0 तीरथ राम गुप्ता

अलीनगर उत्तरी सदर गो0

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 929258

सहायक/उप/मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

19 APR 2012

स्टाम्प

गोरखपुर

नम्बर C032

उत्तर– सम्पत्ति अन्य।

दक्षिण– सम्पत्ति क्रेता।

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

Registration No. : 3657 Year : 2,012 Book No. : 1

0201 द्वारा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र कुमार अग्रवाल
स्व0 सरदार मल नांगलिया
नांगलिया अस्पताल नार्मल रोड सदर गो0
व्यापार

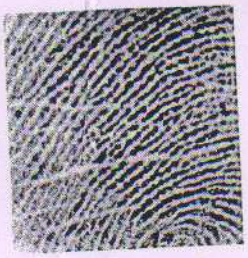

0202 द्वारा मंत्री/प्रबन्धक रामदेव तुलस्यान
स्व0 प्रभुदयाल तुलस्यान
आ0 वि0 का0 बेतियाहाता सदर गो0
व्यापार

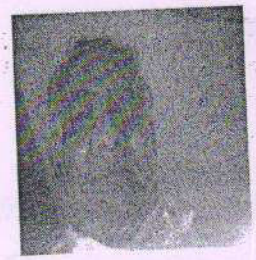

0203 द्वारा कोसाध्यक्ष सज्जन कुमार जालान
स्व0 प्रेमसुख दास जालान
चन्द्रगुप्त नगर का0 गंगानगर बशारतपुर सदर गो0
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 929259

सहायक/उप./मुख्य कोषाधिकारी

उप/रोकड़िया/मुख्य रोकड़िया

19 APR 2012

स्टाम्प
गोरखपुर

नम्बर 0032

विक्रेता

क्रेता

क्रेता

क्रेता

साक्षी ....

साक्षी ....

प्रारुपक व तैयारीकर्ता

अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
26.04.2012

आज दिनांक 27/04/2012 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 8972

पृष्ठ सं. 31 से 158 पर कमांक 3657

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी
उप निबन्धक प्रथम
गोरखपुर
27/4/2012

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

52AB 187961

Photo of Property

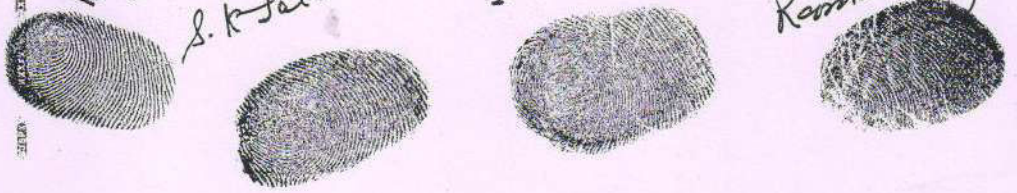

भारतीय न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

52AB 187960

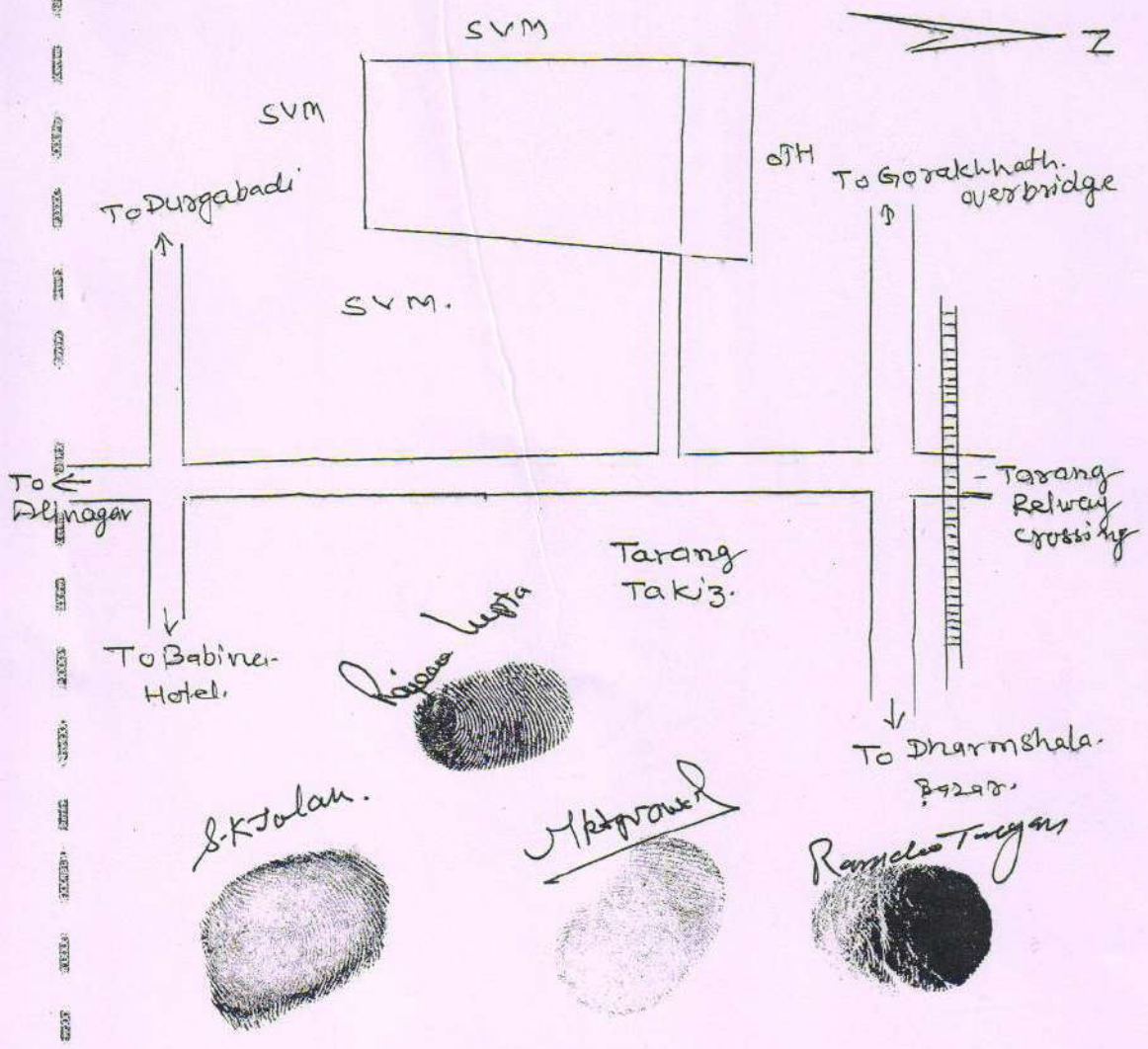

न्यायालय अडि० सिविल जज II (सी०डि०) गोरखपुर
वाद सं० — 180/87
कालिन्दी देवी आदि
—बनाम—
सरस्वती विद्या मंदिर आदि

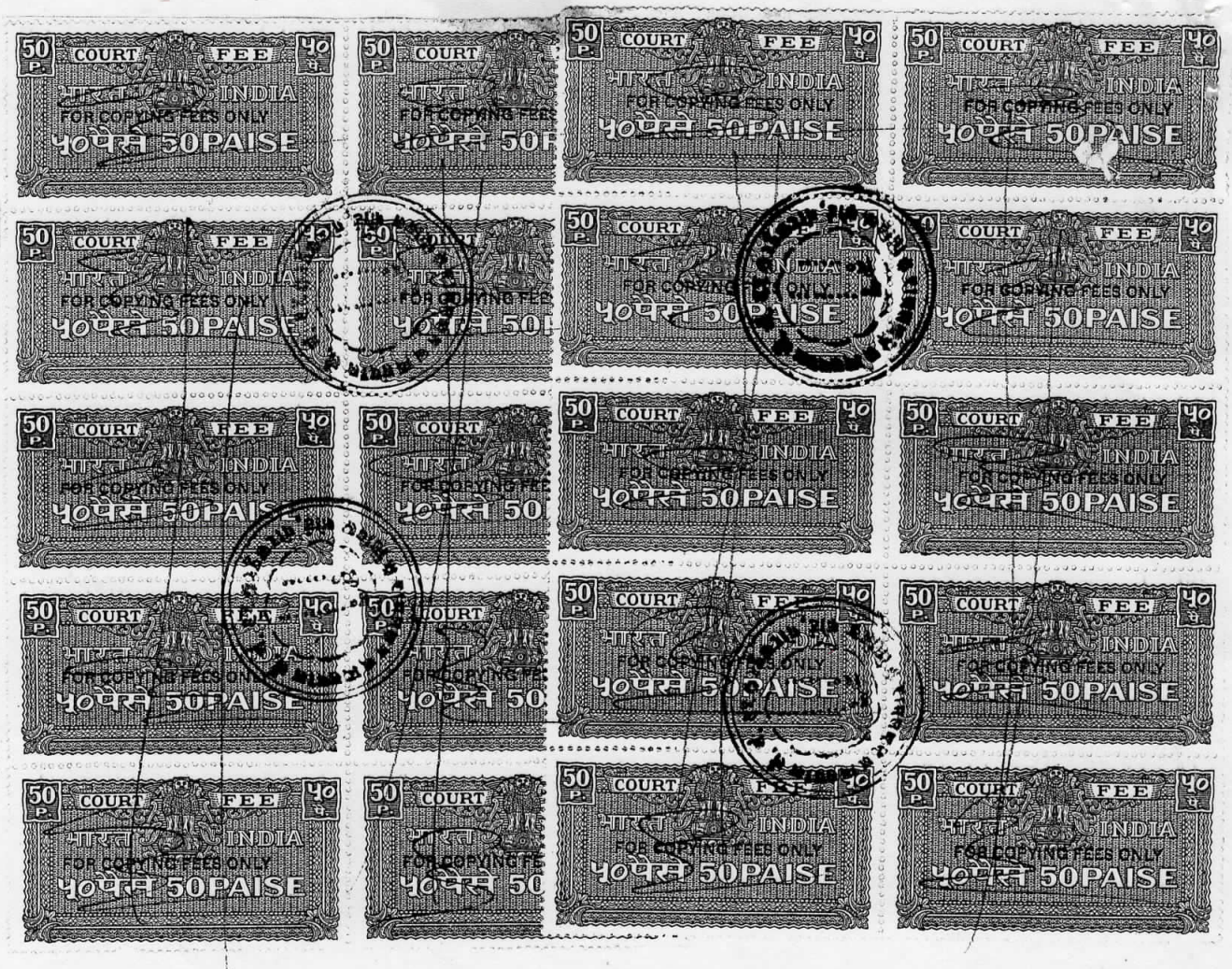

30/11/98	2/12/98	2/12/98 दो दिसम्बर 1998	R.J. Srivastava

29
30/11/98

In the court of the ~~Munsif~~ Civil Judge Gorakhpur

suit no. 18 of 1987

1. smt Kalindi Devi Murarka died during the pendency of the suit aged about 66 years ~~wife~~ of late Sri Makhan lal Murarka and mother of late Murari lal Murarka

1/1 Pradeep kumar Murarka
1/2 Banwari Lal Murarka
Sharad kumar Murarka } All S/o Makhan Lal Murarka

2. Rahul Murarka aged about 19 years son of late Murari lal Murarka

3. smt Bimla Murarka aged about 49 years wife of late Murari lal Murarka

All residents of 9/2 Fern Road Calcutta - 19.

4. Reena Tewari adult w/o Sri Bhishma Shankar Tewari Director Gangotri Enterprises Ltd. registered office 508/50 R.B.L. Road, old Haidrabad Lucknow.

.... Plaintiffs

versus

1. Sarswati Vidya Mandir Gorakhpur through Secretary situated in mohalla Alinagar north city Gorakhpur.

~~2. Principal Sarswati Vidya Mandir Alinagar north city Gorakhpur.~~

~~3. Sri Mahant Avaidya Nath, Gorakhnath Mandir Gorakhpur President Sarswati Vidya Mandir.~~

~~4. Sri Sachchidnand ji Misra son of not known resident of Hirapuri colony Professor Vishwavidalya city Gorakhpur Vice President Sarswati Vidya Mandir.~~

~~5. sri V.K. Kulshrestha care of sri P.C. Kulshrestha Pradesik Griasthi Sangrah Adhikari Gorakhpur Vice President Sarswati Vidya Mandir~~

~~6. sri Triloki Nath Gupta son of not known resident of Triloki and sons Alinagar Gorakhpur Vice President Sarswati Vidya Mandir.~~

~~7. sri Gulzarilal Tibrewal son of not known Hari Ram Bishambar lal Thok Vastra Vyasayee Hindi Bazar city Gorakhpur Treasurer Sarswati Vidya Mandir~~

~~8. Narsingh Dwedi son of not known care of Dr Dharamnath~~

Amended vide order dt 28.10.90

45/10

Diwedi Netra Visheshgya Chapra Saran Bihar

9. Mahabir Pd Agrawal son of not known resident of Padrauna district Deoria joint secretary Sarswati Vidya Mandir.

10. Nagendra singh son of not known resident of village and post Amalauri district Saran Bihar secretary Sarswati Vidya Mandir and at present principal Sarswati Vidya Mandir Alingar north Gorakhpur

11. Sri Devendra Srivastava son of not known resident of mohalla Buxipur city Gorakhpur auditor Sarswati Vidya Mandir

12. Sri Ghanshyam son of not known resident of mohalla Tewaripur Gorakhpur

13. Sri Laxmi Narain son of not known resident of Sangam works Gorakhpur

14. Sri Pratap Narain singh son of not known resident of village Semra karthkuniya district Deoria

15. Sri Anirudh shukla son of not known resident of gram Sewak Chapra P.O. Nas Chapra district Deoria

16. Sri Udai Bhan Mall son of not known resident of village and post Mujauli Bazar district Deoria

17. Sri Ramsingar Sharma son of not known resident of Sarswati Vidya Mandir Gorakhpur.

.... Defendants

The abovenamed defendants respectfully beg to submit as under:-

45/11

1. That sri Murari lal Murarka was the landlord of the premises known as Murarka mill, a portion of which is delineated in the site plan annexed.

2. That sri Murari lal Murarka was the husband of the plaintiff no 3 and the father of the plaintiff no 2 and son of the ~~plaintiff no 1~~. Smt Kalindi Devi Murarka died during the pendency of the suit.

3. That the defendant no 1 is a registered society which runs a school in the name and style of Sarswati Vidya Mandir Gorakhpur . The other defendants are its office bearers and members who are also severally and jointly liable for any action by and against the society.

4. That the late Sri Murari lal Murarka transferred by registered deed the portions coloured yellow in the site plan to Sarswati Vidya Mandir Tirath Ram and kalawati Devi and others and the rest of the portion was in the occupation and ownership of the late Sri Murari lal Murarka and was in the tenancy of the P C F and other persons.

5. That after the purchase of the said yellow portion, the defendant late Sri ~~Ram~~ Ravi Pratap Narain Giri the then principal of the school and secretary of the society wrongfully and illegally occupied the portion marked pink for which a S.A. no. 1502/85 is pending before the Hon'ble High court.

6. That out of the said premises, a portion coloured green was in the occupation of the P C F but when they released it the late Sri Ravi Pratap Narain Giri, the then defendant no 2 applied to the Rent Control and Eviction

officer Gorakhpur for the allotment in his favour for the use of the school knon as Sarswati Vidya Mandir.

7. That ultimately the allotment order dated 11.8.1971 was passed in favour of late sri Ravi Pratap Narain Giri .

8. That a case no 8 of 1974 between the late sri Murari lal Murarka and the late Ravi Pratap Narain Giri was fought and contested and ultimately it was deicded that the tenancy which originated in the lifetime of Murari lal Murarka between him and sri Ravi Pratap Narain Giri was for a monthly rent of 200/- per month and the tenancy s tarted from the 11th day of the English Calendar month and terminated on the 10th day of the subsequent month.

9. That Sri Ravi Pratap Narain Giri the allottee did not pay the rent frm the date of allotment and when sri Murari lal Murarka died on 1.11.1973, the present plaintiffs, being the heirs succeeded Sri Murari lal Murarka and filed a suit for arrears of rent and ejectment which was registered as suit no 8 of 1974 against late sri Ravi Pratap Narain Giri and Sarswati Vidya Mandir defendant no. 1.

10. That in the said suit no 8 of 1974 a decree for arrears of rent and ejectment was passed on 20.4.78 and in the said suit the rate of rent was adjudged to be 200/- per month.

11. That a civil revision no 2995 of 1978 was filed by the aforementioned persons before the Hon'ble High court of judicature at Allahabad which was dismissed on 15.11.79.

45/13

12. That the late sri Ravi Pratap Narain Giri was and the office bearers of the defendant no 1 are persons of local influence and have colluded in the furtherance of their wrongful acts whereby they have been manipulating ways and means not only to put impediment in the execution of the decrees, but they have further made unauthorised occupation and encroachments over the premises of the plaintiff mentioned hereinafter.

13. That recently when the attorney of the plaintiff sri Banwari lal Mrarka came to Gorakhpur for the pairvi of the aforementioned cases in execution and for getting a suit filed for the realisation of the dues for damages and occupation with effect from 13.8.81 it has been revealed that the late sri Ravi Pratap Narain Giri who was the allottee of the portion marked by green colour handed over possession to the defendant no 1 the society, running the institution which originaly started in the premises sold by Murari lal Murarka and colourered yellow in the site plan annexed to the plaint.

14. That in furtherance of their wrongful acts the defendants have recently occupied the premises ABCDEF marked in the site plan and have made unauthorised constructions and they have further blocked the passage which had been left open by the plaintiffs for the tenants and the plaintiffs as an approach from the road whereby the tenants of the plaintiffs and also the plffs' representatives are in great difficulty. The employees of the plaintiffs being unable to go inside the premises ~~the~~

Amended as per order dt 10/1/93
30/1/94

ReB

408/14

it ispresumed that the various tenants have been forcibly ejected by the defendants and some rooms have been also demolished for which the plaintiffs reserve their right to sue.

15A - That plaintiff No.1 Smt Kalindi Devi Murarika died during the pendency of the suit on 20-10-95 leaving behind her three sons the plaintiff No 1/1 to 1/3 and her predeceased son widow plaintiff No 3 and son of the predeceased son & the plaintiff No 2 are her legal heirs and all heirs has jointly and severally right to continue the suit against the defdt.

15. That the defendants have not only made unauthorised possession over the red portion of the premises but they are threatening to demolish the other constructions of the plaintiffs and make their own construction, hence the necessity of the suit.

15 A X

15 B (X)

16. That the cause of action for the suit arose in the month of November/December 1985 when the defendants wrongfully occupied the portion marked red and blocked the passage in the site plan and thereafter when they threatened to demolish the construction of the plaintiffs and to build their own within the cognizance of this court in mohalla Alinagar north city Gorakhpur.

amended vide order dated 4/5/96

(X)

15B - That the plaintiff No. 1, 1/1, 1/2, 1/3 & 3 sold the disputed property in favour of plaintiff No4 vide registered sale deed dt 26.4.94. Thus the plaintiff No4 is the owner in possession of property in dispute. She is therefore entitled to carry on the suit against the dfts.

17. That the valuation of the suit for the purposes of jurisdiction is fixed at ₨ 3600/- being the average annual net profit which may accrue for a similar premises and for damages for use and occupation is fixed at 7200/- annually total 10800/- and for the payment of court fee being one fifth of ₨ 3600/- equals 720/- for the relief of injunction, and ₨ 3600/- for the relief of possession and for the relief of damages for use and occupation the court fee on 600/- is being paid tentatively and the actual court fee will be paid before

Amendment carried out dt 20.5.96

the execution of the decree for damages till the date of actual possession being calculated at Rs. 600/- per month.

Reliefs

1. That by a decree in favour of the plaintiffs, against the defendants, jointly and severally, the plaintiffs be put into possession over the premises marked red with the option of the defendants to get their structures and materials removed within the time fixed by the court, in default the plaintiffs be put in possession through a civil court amin or a vakil commissioner appointed by the court at the cost of the defendants.

2. That by a decree of permanent injunction, the defendants be restrained not to interfere in the possesion of the plaintiffs or his agents and representatives in respect of the premises owned by the plaintiffs.

3. That by a decree of this court the defendants be ordered to pay 600/- per month w.e.f. Nov'85 as damages for use and occupation of the portions unauthorisedly occupied by them till the date of actual possession by the plaintiffs.

4. That the cost of the suit be awarded to the plaintiffs against the defendants.

Rec'd

45/16

5. That ~~may~~ any other reliefs to which the plaintiffs in the opinion of this honourable court, be found entitled to, may be awarded in favour of the plaintiffs and against the defendants.

I, Banwari lal Murarka power of attorney holder of the plaintiffs 1 to 3 do hereby verify that the contents of paras 1 to 15 of this plaint are true to my personal knowledge and those of paras 16 and 17 are based on legal advice, which I believe to be true. Verified 4th day of March 1985 at ~~civil court~~ Gorakhpur.

Banwari lal Murarka

Banwari lal Murarka

1. smt Kalindi Devi Murar
2. Rahul Murarka
3. smt Bimla Murarka

Plaintiffs

through ~~smt~~ Banwari lal Murarka ~~Power~~ of attorney

Dated, holder of plaintiffs 1 to 3

Note:- The plan annexed as page no. 9 is part of the plaint.

Banwari lal Murarka

13/4/85

14

In the Court of Civil Judge (Senior Division) II Gorakhpur

Suit No. 180/87

Smt Kalindi Devi and others

vs

Saraswati Vidya Mandir and others

SCALE 1"=50 FT.

Site Plan

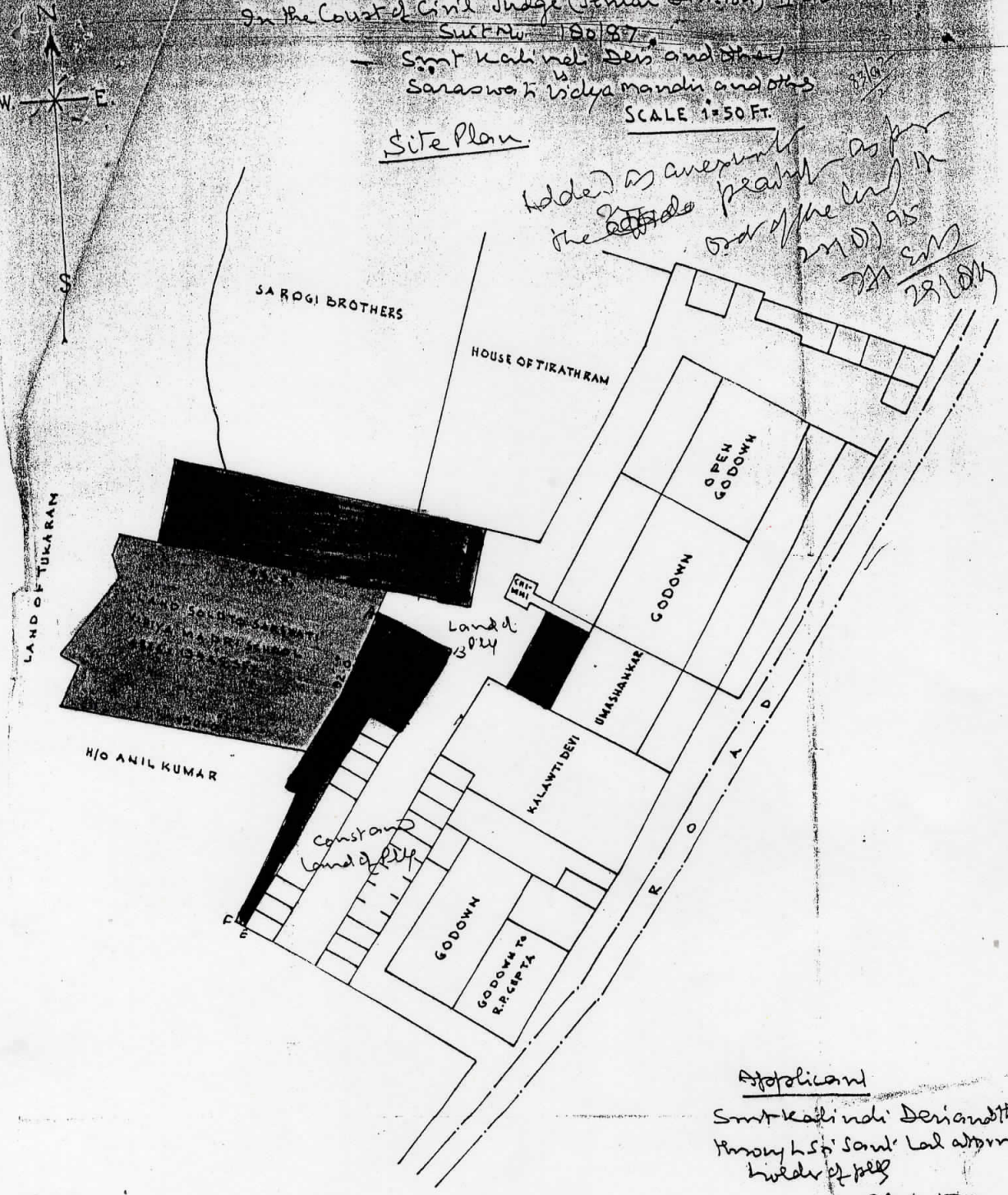

Applicant

Smt Kalindi Devi and others

through Sri Sant Lal attorney holder of plff

Plaintiff

Sant Lal Srivastava

14.12.95

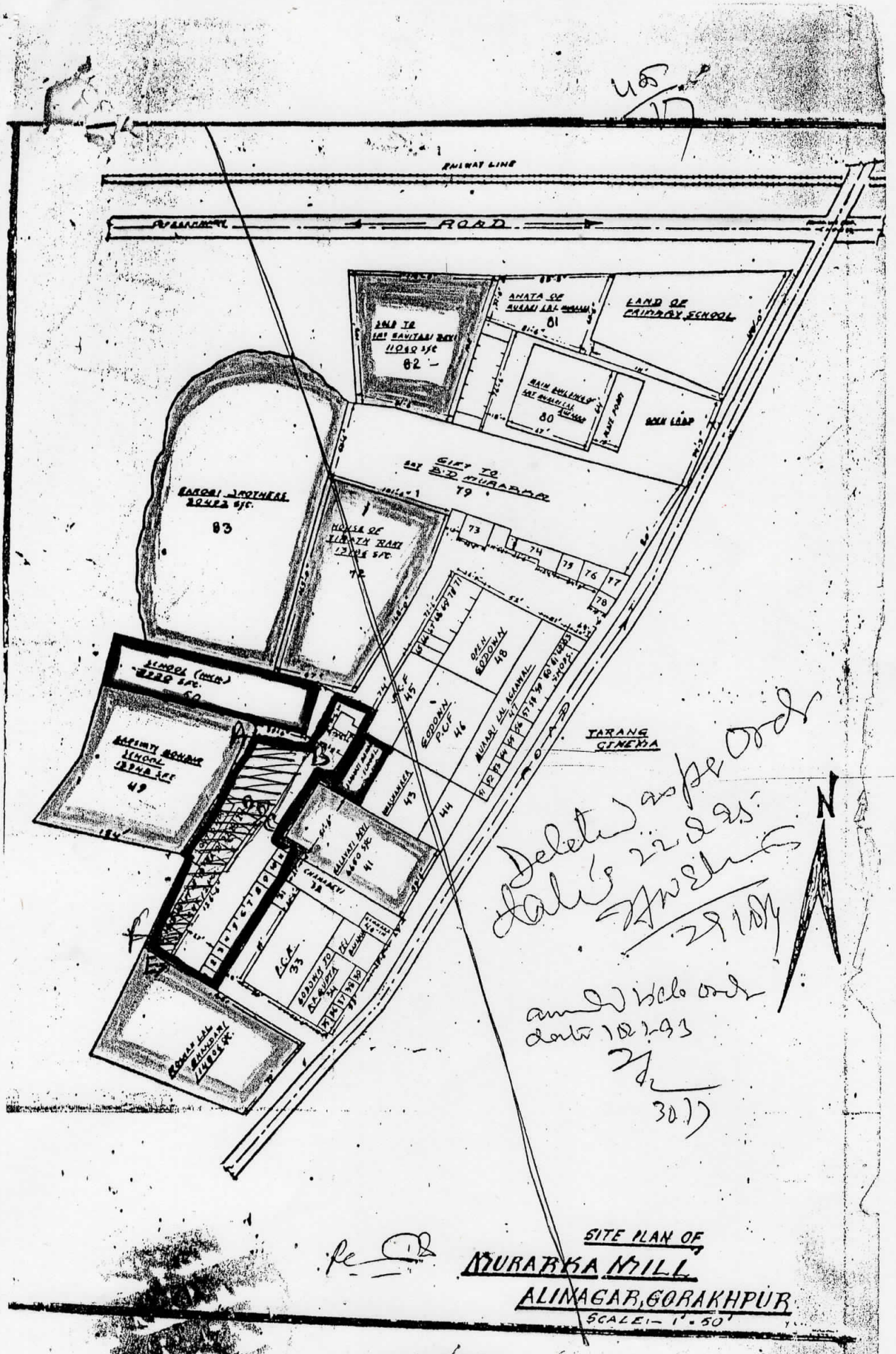

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
गोरखपुर

कर्ता
तुलना कर्ता
कुल कागजात

न्यायालय अडि० सिविल जज II (सी०डि०) गोरखपुर

वाद सं० — 180/87

कालिन्दी देवी आदि

— बनाम —

सरस्वती विद्या मंदिर आदि

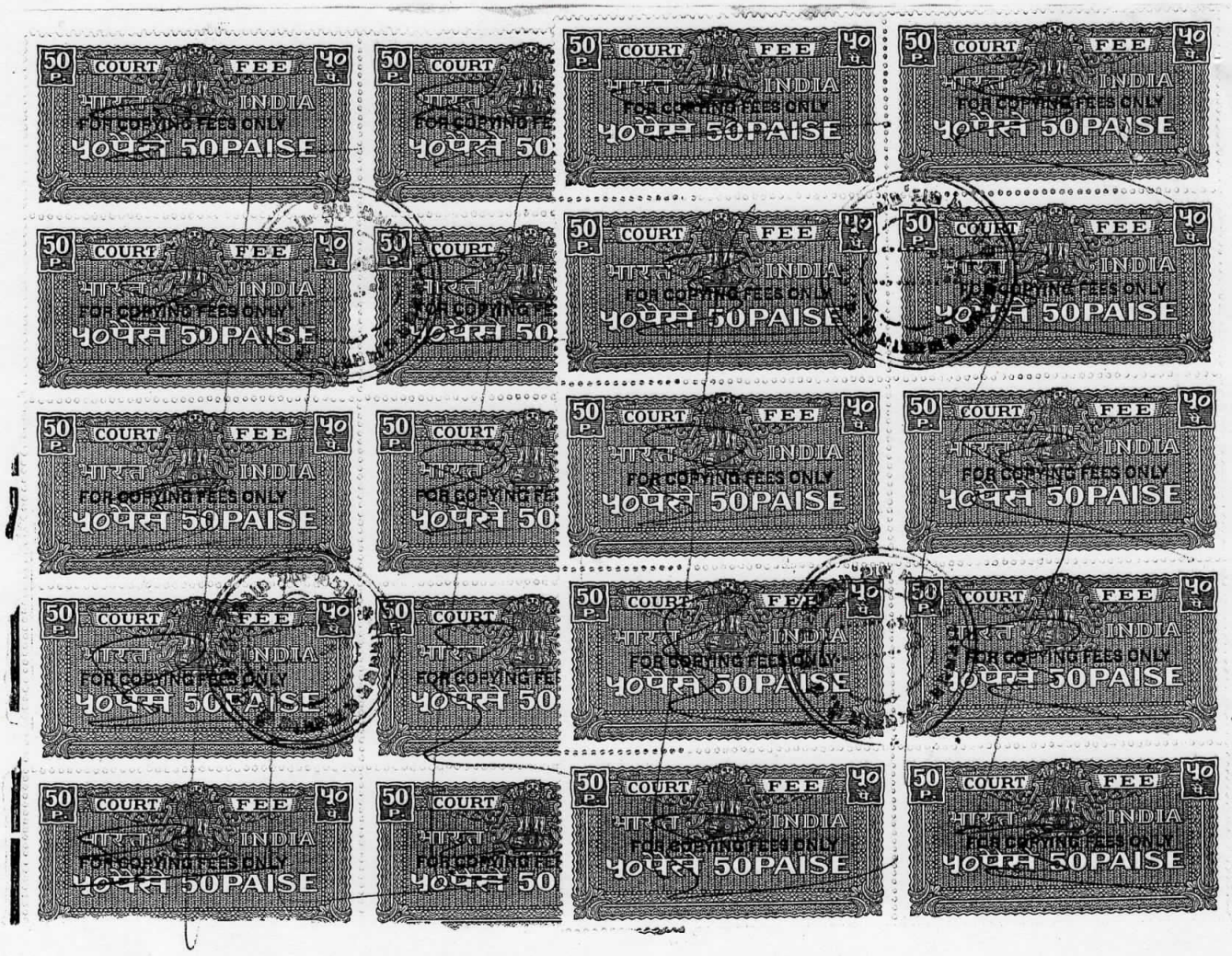

30-11-98	2-12-98	2-12-98 दो दिसम्बर 1998	B.B. Srivastava

29/30-11-98

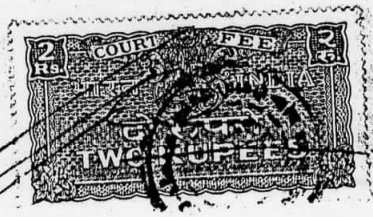

26/11/96

1338

ब अदालत अतिरिक्त सिविल जज -2- "सीनियर डिवीजन"

गोरखपुर

वाद संख्या 180 सन 87

कालिन्दी देवी एवं अन्य ------------------ वादीगण

बनाम

सरस्वती शिशु विद्या मन्दिर वगैरह ------------ प्रतिवादीगण

उपरोक्त वाद में निवेदन है कि प्रस्तुत मुकदमा के साथ वाद संख्या 159/92 एवं वाद संख्या 348/92 समेकित हो चुका है तथा उपरोक्त तीनों पत्रावलियों के संयुक्त विचारण के लिये पहले ही आदेश पारित हो चुका है। उक्त तीनों मुकदमा के वादीगण ने विवादित सम्पत्ति को श्रीमती रीना त्रिपाठी के हक में दौरान मुकदमा केवल मुकदमा में पेचीदगी पैदा करने की गरज से अन्तरित कर दिया है और श्रीमती रीना त्रिपाठी के नाम का उल्लेख भी वाद पत्र में हो चुका है। चूंकि सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 जमाना दराज से काबिज दखील चले आ रहे हैं और प्रतिवादी सं.1 उपरोक्त जमीन पर अपना तामीरात भी कर चुके हैं। और उस पर विद्यालय भी विगत काफी दिनों से चल रहा है। परिणाम स्वरूप: विवादित जमीन न तो कभी पूर्व वादीगण के कब्जा में रही और न ही उस पर श्रीमती रीना त्रिपाठी मजकूर का कभी कोई कब्जा हो पाया। यद्यपि कि मूल वाद के पूर्व वादीगण ने

133म/2

ने विवादित जमीन को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बेनामा वहक श्रीमती रीना त्रिपाठी अन्तरित कर दिया है। और नुमाइसी तौर पर कब्जा दखल देने की बात कही है जो कि सरीही गलत व खिलाफ असलियत के है लम्बे अरसा से चलते हुये विवाद को देखकर और दोनो पक्षो का काफी व्यय होता देखकर उभय पक्षो के शुभचिंतको ने समझाने बुझाने का प्रयास किया जिस पर उभयपक्षो के शुभचिंतको के समझाने बुझाने पर पक्षो ने मुनासीब समझा कि प्रस्तुत मुकदमा को संधि के आधार पर तय कर लेवे।

श्रीमती रीना त्रिपाठी मजकूर ने प्रस्तुत मुकदमा को सुलह करने के लिये एव अपने आपको विवादित जायदाद से लावारस्ता करने के लिये एव अपने आपको विवादित जायदाद से लावारस्ता करने के लिये अपने हरजा खरचा के रुप मे प्रतिवादी संख्या। विद्यालय से मु मुबलिग 20,00,000/- रुपया (पच्चास लाख रुपया) की मांग माह नवम्बर सन 1997 मे किया और कहा कि यदि उन्हे मु० 50,000,00/- रुपया (पच्चास लाख रुपया) की धनराशि प्रतिवादी संख्या। विधालय को अदा कर देवे तो वे अपने आपको विवादित जायदाद से लावारस्ता व लातालुक कर लेवेगी।

चूंकि विवादित जायदाद के पूरे हिस्से पर प्रतिवादी सं० । का तामीरात बहुत पहले हो चुका है और उसमे विधालय चल रहा है और मुकदमा लड़ने मे काफी जेवारी व परेशानी प्रतिवादी सं० ।

नोग० एवं गी० अ [signatures]

1335
3

को हो रही थी तथा सार्वजनिक धन का नुकसान हो रहा था इसलिये प्रतिवादी सं० 1 ने उपरोक्त मांग की गयी धनराशि को देना स्वीकार कर लिया लेकिन चूंकि प्रतिवादी सं० 1 एक सामाजिक संस्था है और विद्यालय चलाती है इसलिये एक मुश्त मुबलिग 50,000,00/- (पच्चास लाख रुपया) दिया जाना सम्भव नही था इस कारण से उपरोक्त धनराशि को 8 महीने के अन्दर किस्तो मे अदा कर देने के लिये श्रीमती रीना तिवारी मजबूर ने कहा जिस पर वे तैयार हो गयी और तय यह हुआ कि सम्पूर्ण धनराशि मुबलिग 50,000,00/- (पच्चास लाख रुपया) अदा कर दिये जाने के पश्चात वह बादीगण से मुकदमा को सुलह कर लेंगी और अपने आपको विवादित जमीन से लावारस्ता व लातल्लुक कर लेंगी और अपने आपको विवादित जमीन से लावारस्ता व लातल्लुक कर लेंगी। इसी अनुसार प्रतिवादी सं० 1 ने मुबलिग 50,000/- (पच्चास हजार रुपया) जरिये चेक सख्या 961318 दिनांकित 25-11-97 जो पंजाब नेशनल बैंक, गोरखनाथ शाखा गोरखपुर का है, श्रीमती रीना तिवारी मजबूरा वाला को अदा कर दिया इसके उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से मुबलिग - 10,000,00/ (दस लाख रुपया) जरिये चेक सख्या 46080 दिनांक 15-12-97 फिर मुबलिग 950,000/- रुपया नौ लाख

---4--

लाख पच्चास हजार रुपया) जरिये चेक संख्या 518865 दिनांकित 9-2-98 फिर मुबलिग 50,000/- रुपया (पच्चास हजार रुपया) जरिये चेक संख्या 518866 दिनांकित 10-2-98 फिर मुबलिग 10,00,000/- (दस लाख रुपया) जरिये चेक संख्या 518455 दिनांकित 23-2-98 तथा मुबलिग 10,00,000/- रुपया दस लाख रुपया) जरिये चेक संख्या 518518 दिनांकित 2-5-98 फिर मुबलिग 9,50,000/- (नौ लाख पच्चास हजार रुपया) चेक संख्या 518527 दिनांकित 20-5-98 जो कि सभी यूको बैंक के है इस तौर पर कुल 7 चेक के जरिये मुबलिग 50,000,00 रुपया) पच्चास लाख रुपया की तय सुदा धनराशि प्रतिवादी संख्या। विद्यालय की ओर से श्रीमती रीना तिवारी मजबूरा वाला को अदा किया जा चुका है और उपरोक्त धनराशि के भुगतान होने के बाद से श्रीमती रीना तिवारी मजबूरा वाला ने अपने आपको जमीन नेजाअ से लावास्ता व लातअल्लुक कर लिया है और जैसा कि पूर्व से ही विवादित जमीन प्रतिवादी संख्या। के कब्जा मे रही है। और वह उसी रूप मे आज भी बदस्तूर साबिक चली आ रही है।

जिस पर कि प्रतिवादी संख्या। का निर्माण है और प्रतिवादी सं. । द्वारा उस पर विद्यालय चलाया जा रहा है इस तौर पर प्रतिवादी संख्या। और वादी संख्या4 श्रीमती रीना तिवारी मजबूरा वाला के मध्य जो शर्तें सुलहनामा की तय हुयी है वे इस प्रकार है।

शरायत सुलहनामा

1- यह कि विवादित जमीन जिसे सलग्न नक्शा नजरी में रग लाल से दिखाया गया है, प्रतिवादी सं. 1 विद्यालय की तनहा मिलकियत व मकबूजा होगी और उससे बादीनी सं. 4 श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला से एव उनके वारिसान या कायम मुकामान से कोई वास्ता व सरोकार न है और न आइन्दा रहेगा।

2- यह कि विवादित जमीन पर प्रतिवादी सं. 1 विद्यालय हर प्रकार के तामीरात करने के लिये स्वतंत्र होगे और बतौर मालिक के उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे और जिसे चाहेंगे उसको अन्तरित करेंगे। इसमे बादीनी सं. 4 श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला या उनके वारिसान या उनके कायम मुकामान को किसी प्रकार का उज्र व एतराज करने का अधिकार नही होगा।

3- यह कि बादीनी संख्या 4 श्रीमती रीना तिवारी ने मुबलिग 50,000,00/- (पचास लाख रुपया) की रकम बेरून अदालत जरिये भिन्न भिन्न चेक प्राप्त कर लिया है जैसा कि इस

---6-

सुल्हनामा मे उल्लिखित भी किया जा चुका है और इस तौर पर उन्होने अपने आपको विवादित जायदाद से लावास्ता व लाताल्लुक कर लिया है।

4- यह कि इस सुल्हनामा के साथ दिये जा रहे नक्शा नजरी मे बरंग लाल से दर्शित भूखन्ड प्रतिवादी सं. 1 की तनहा मिलकियत व मकबूजा है और आइन्दा रहेगी।

5- यह कि नक्शा नजरी मे दर्शित भूखन्ड व उस पर हुये प्रतिवादी सं. 1 के निर्माण वे भी भूखन्ड व निर्माण है जो श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा बाला के हक मे तहरीर हुये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांकित 26-4-1994 में वर्णित हैऔर जो कि इस सुल्हनामा की तारीख से प्रतिवादी की तनहा मिलकियत व मकबूजा और वादीनी मजकूर व उनके वारिसान या कायम मुकामान से कोई वास्ता व सरोकार नही होगा।

6- यह कि वाद संख्या 159/92 व 348/92 जो कि इस मुकदमा के साथ समेकित किया गया था को वादीनी द्वारा वापस ले लिया जा रहा है क्योकि उक्त दोनो मुकदमा को चलाने की कोई अब आवश्यकता नही रह गयी है।

7- यह कि सलग्न नक्शा इस सुल्हनामा का अंग समझा जायेगा।

8- यह कि खरचा मुकदमा फरीकैन जिम्मे फरीकैन रहेगा।

1338
6

अतः प्रार्थना है कि

प्रस्तुत सुलहनामा के आधार पर मुकदमा हाजा फैसल किया जावे तथा इस सुलहनामा व सलग्न नकशा को डिग्री का भाग बनाया जावे ताकि न्याय होवे।

प्रार्थी:-

सरस्वती विद्यामन्दिर

प्रार्थी:-

श्रीमती रीना तिवारी

तुलना कर्ता—

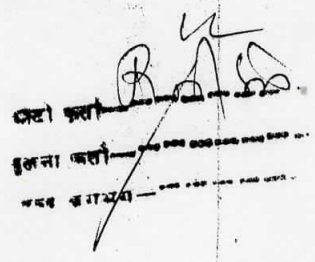

PROPERTY BELONING TO MRS. RINA TRIPATHI
AT. ALINAGAR NORTH GORAKHPUR

1332
7

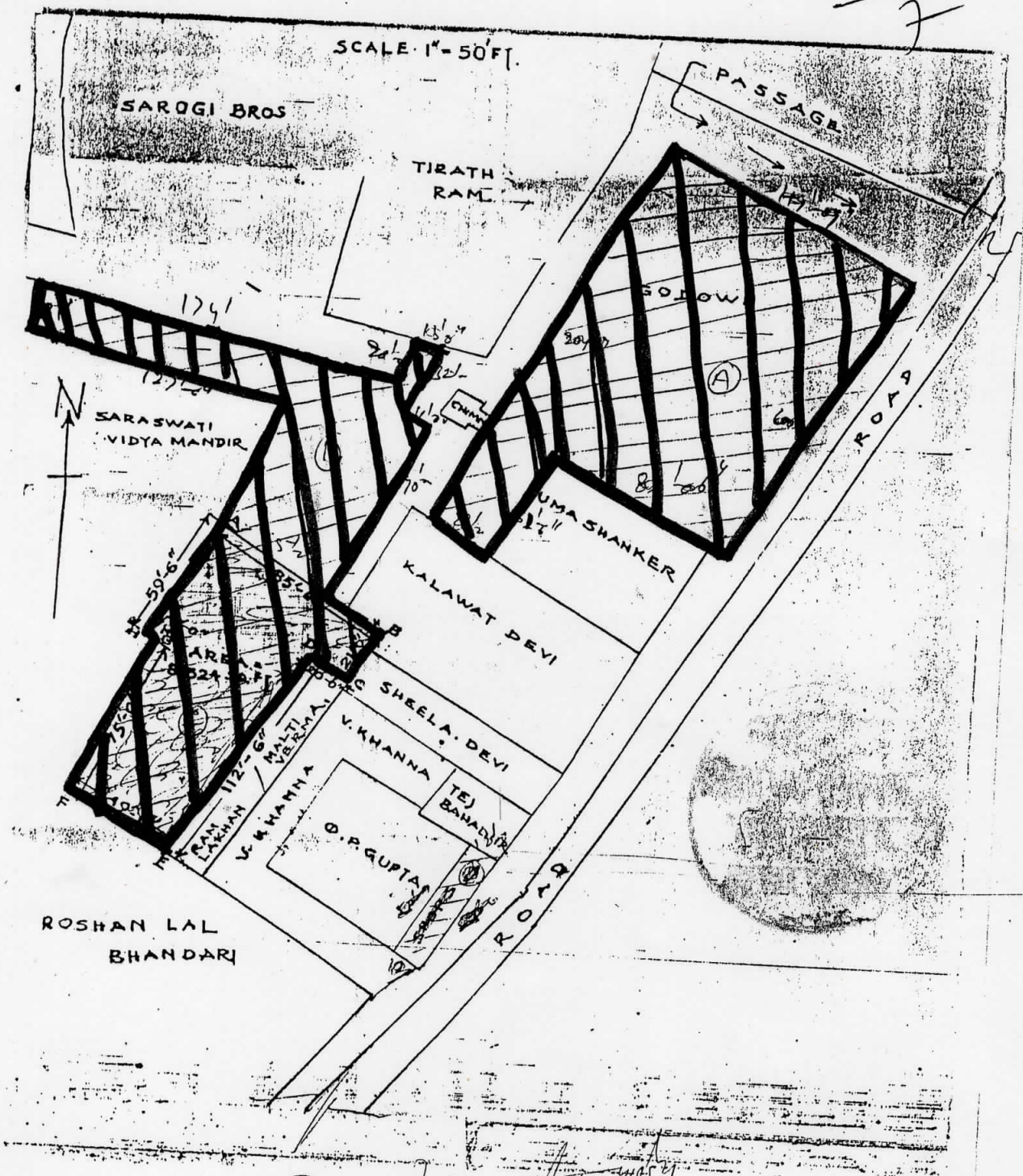

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
गोरखपुर

न्यायालय - अडि० सिविलजज II (सी०डि०) गोरखपुर
वाद सं० - 180/87
कालिन्दी देवी आदि
—बनाम—
सरस्वती विद्या मंदिर आदि.

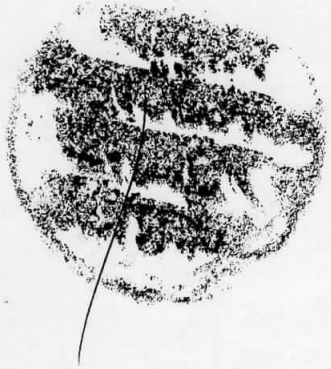

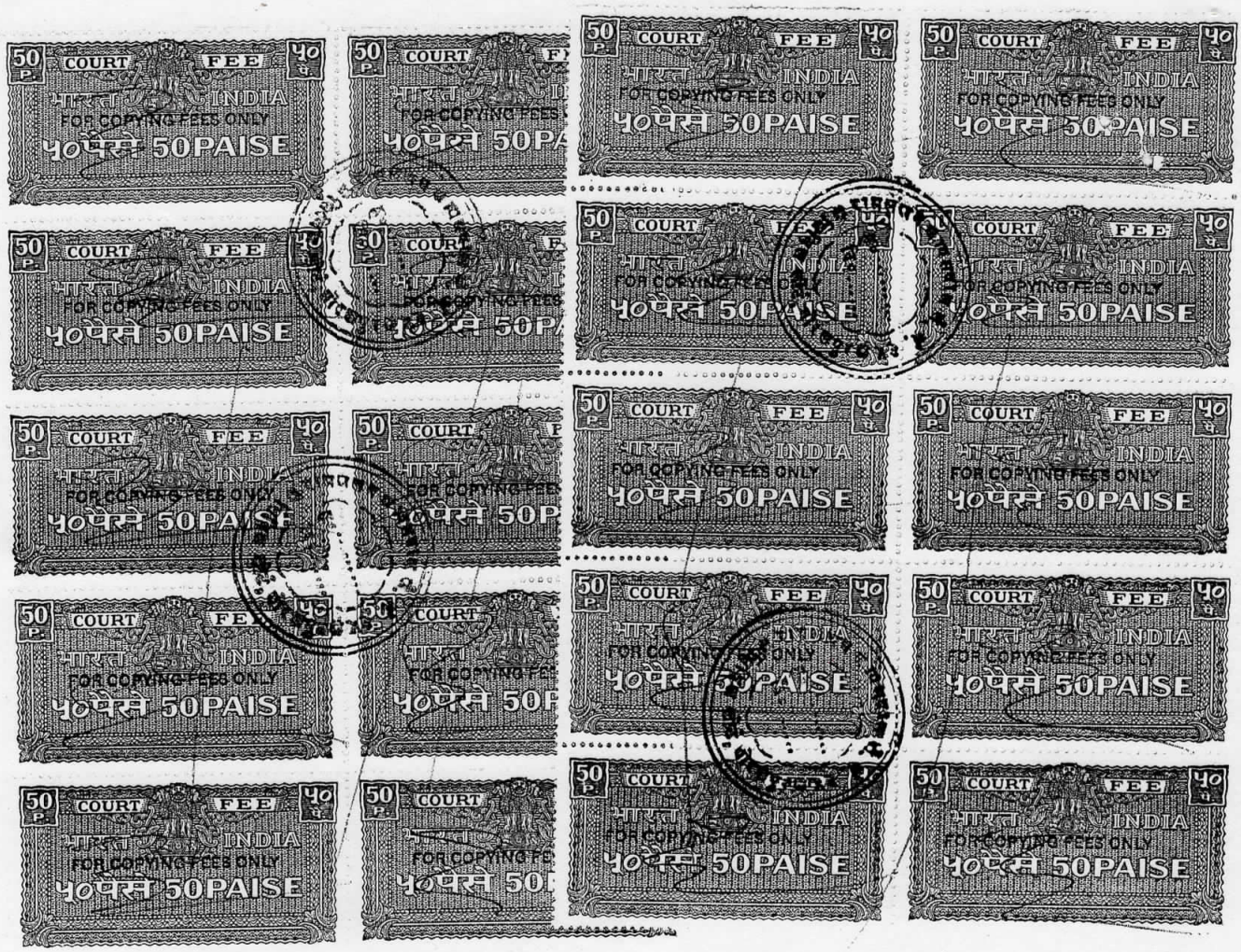

30-11-98	2-12-98	2-12-98 दो दिसम्बर 1998	B.B. Sinalaw

29
30-11-98

आज इस शपथपत्र को वादिनी श्रीमती
[illegible] पियूष
पाण्डेय व नागेन्द्र [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] नागेन्द्र सिंह [illegible]
[illegible] ने शपथपत्र [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
26/11/98

[signature]

[signature]

Identified the signature of Nagendra Singh
Sri [illegible]
26.11.98

Identified the signature of Piyush Pandey
[signature]
26/11/98

सत्य प्रतिलिपि
[signature] 2/12/98
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
गोरखपुर

[illegible] 60

न्यायालय अडि० सिविल जज II (सी०डि०) गोरखपुर
वाद सं० — 180/87
कालिन्दी देवी आदि
— बनाम —
सरस्वती विद्या मंदिर आदि

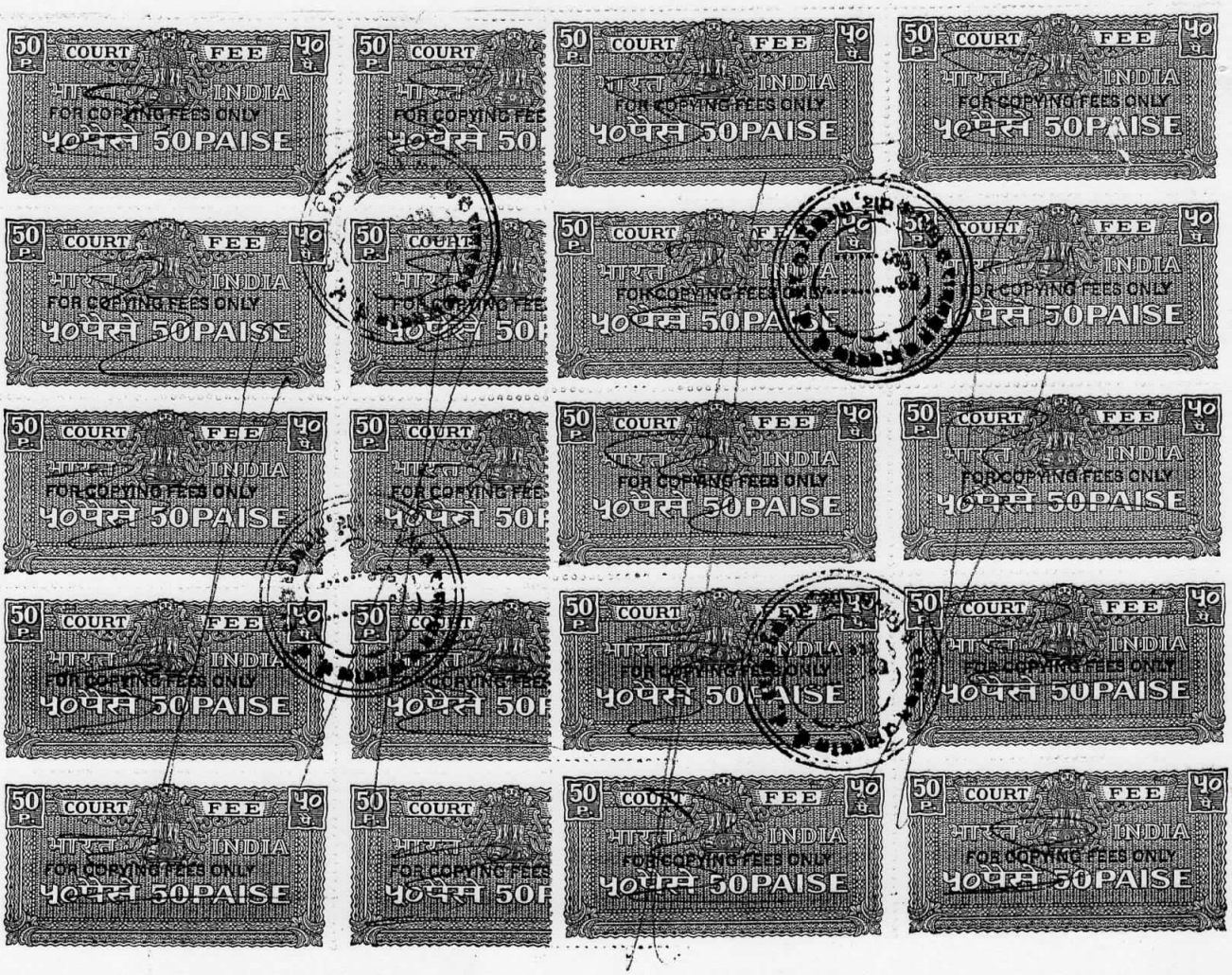

30-11-98	2-12-98	2-12-98 दो दिसम्बर 1998	

29
30-11-98

1345

न्यायालय द्वितीय-अपर सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड) गोरखपुर

उपस्थित - श्री अलख नारायण (पी. सी. एस. (जे.)

वाद-संख्या- 180/87

कालिन्दी देवी ---------- वादिनी

बनाम

सरस्वती बिद्या मन्दिर , गोरखपुर जरिये सक्रेटरी,

..... प्रतिवादी

निर्णय

प्रस्तुत दीवानी वाद वादिनी कालिन्दी देवी ने प्रतिवादी सेक्रेटरी सरस्वती बिद्या मन्दिर गोरखपुर के बिरुद्ध स्थाई ब्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित व योजित किया है ।

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद करने के पश्चात वाद बिन्दु क` निर्धारण के उपरान्त साक्ष्य अंकित होने के वाद उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा 133क पेश किया गया है वह सुलहनामा समक्ष न्यायालय तसदीक किया गया है। पक्षकार के बीच सुलहनामा के आधार पर वाद पूर्णतया समायोजित हो जाता है और सुलहनामा के आधार पर वाद निर्णीत किये जाने योग्य है ।

आदेश

वाद सुलहनामा कागज संख्या 133क की शर्तो के आधार पर निर्णीत किया जाता है। सुलहनामा कागज संख्या 133क आज्ञप्ति का भाग होगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

(अलख नारायण)

दिनांक गोरखपुर द्वितीय अपर सिविल जज (सी. डि.) गोरखपुर

नवम्बर 27, 1998

-2-

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः गोरखपुर .... ﴾अलख नारायण﴿

नवम्बर 27, 1998 द्वितीय अपर सिविल जज﴾सी. डि.﴿

गोरखपुर

सत्य प्रतिलिपि

2-12-98

प्रधान प्रतिलिपिक

केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग

गोरखपुर

नकल कर्ता—

मुकाबला कर्ता—

— 7.50

न्यायालय अडि० सिविल जज II (सी०डि०) गोरखपुर

वाद सं० — 180/87

कालिन्दी देवी आदि

—बनाम—

सरस्वती विद्या मंदिर आदि

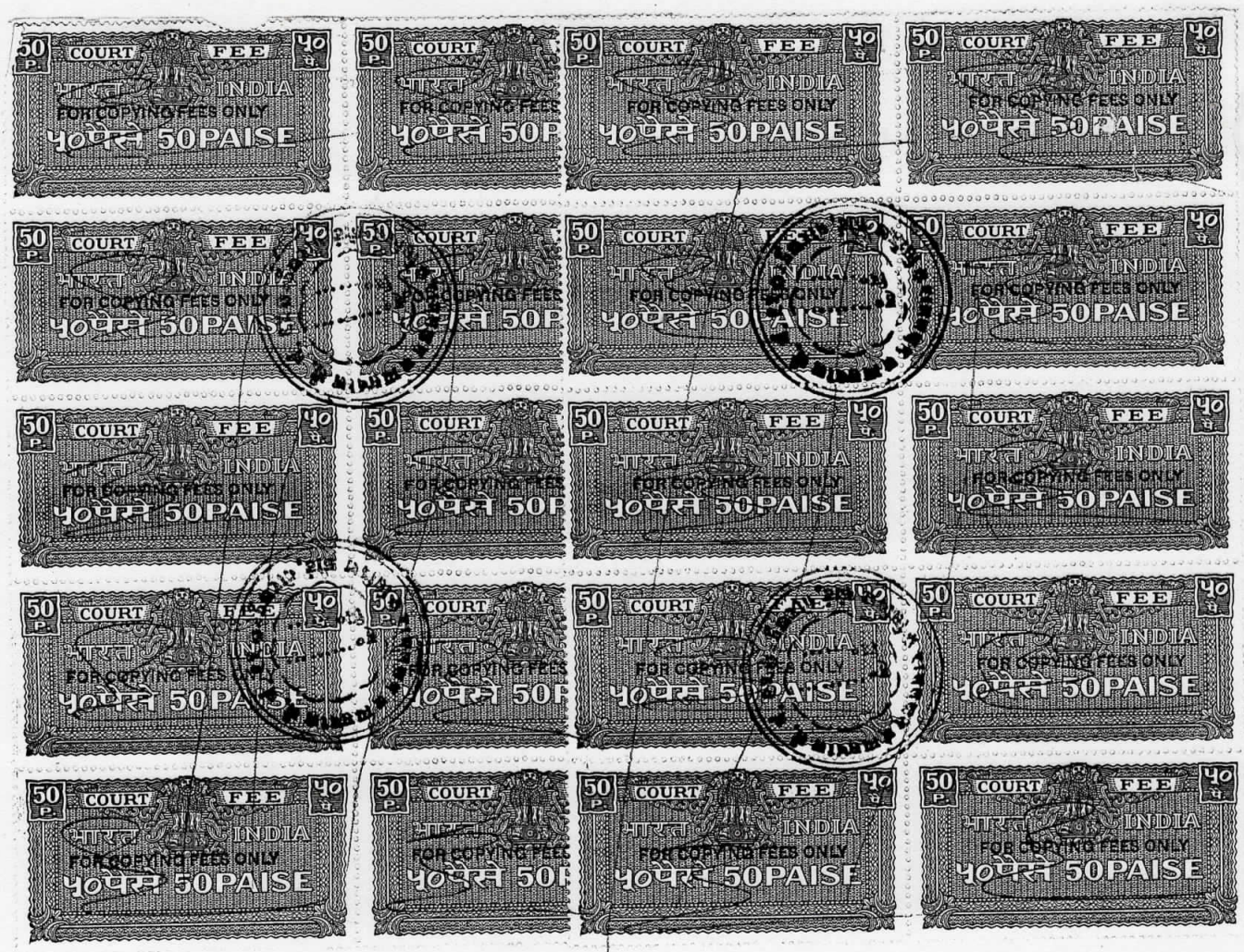

30-11-98	2-12-98	2-12-98 दो दिसम्बर 1998	RB Srivalan

99 / 30/11/98

(1)

P.W. 1
26/11/98

[illegible]

[illegible] 180/87 [illegible] 132 [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 131 [illegible]
131 [illegible]
[illegible] 131 [illegible]
[illegible]
[illegible] 131
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 180/87 [illegible]
17/9/82 [illegible] 34.8/92 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

(2)

[illegible] विवादित [illegible]
व [illegible] उपरोक्त [illegible]
[illegible] तथा [illegible]
[illegible] वादी [illegible]
[illegible]
नहीं है

[illegible] विवादित [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

26/11/98

26/11/98

सत्य प्रतिलिपि
[illegible] 2/12/98
प्रधान प्रतिलिपिक
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
गोरखपुर

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] 25

न्यायालय अति० सिविल जज - 2 - (सी०डी०) गोरखपुर

वाद संख्या — 180/87

कालिन्दी देवी एवं अन्य

— बनाम —

सरस्वती विद्या मन्दिर वगैरह

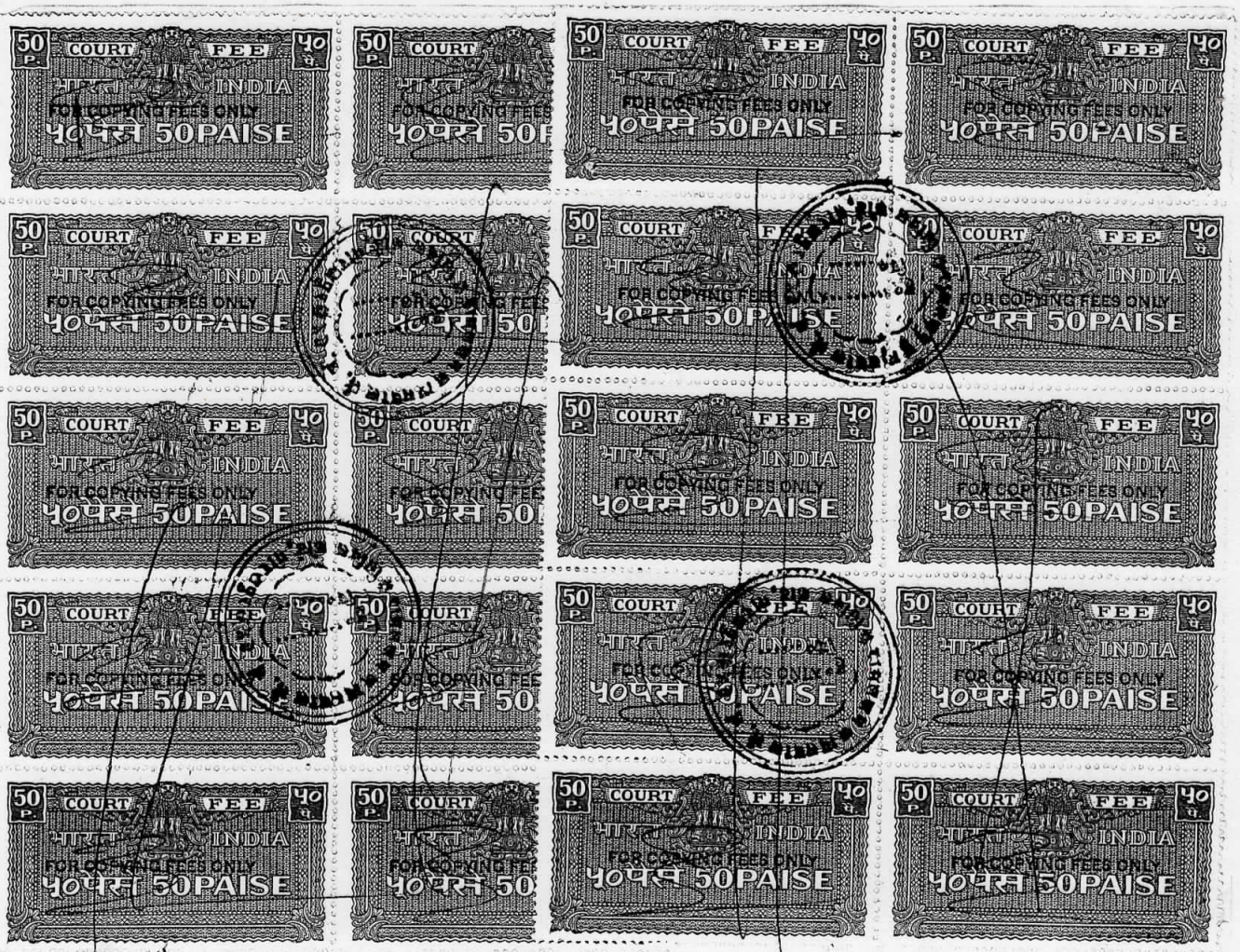

1/12/98

5
1/12/98

26/11/96

1332

ब अदालत अतिरिकत सिविल जज -2- "सीनियर डिवीजन"

गोरखपुर

वाद संख्या 180 सन 87

कालिन्दी देवी एव अन्य ------------------- बादीगण

बनाम

सरस्वती वेदिया मन्दिर वगैरह ------------- पृतिबादीगण

उपरोक्त बाद में निवेदन है कि पृस्तुत मुकदमा के साथ बाद संख्या 159/92 एव बाद संख्या 348/92 समेकित हो चुका है तथा उपरोक्त तीनो पत्रावलियो के संयुक्त विचारण के लिये पहले ही आदेश पारित हो चुका है। उक्त तीनो मुकदमा के बादीगण ने विवादित सम्पत्ति को श्रीमती रीना तिवारी के हकमे दौरान मुकदमा केवल मुकदमा मे पेचीदगी पैदा करने की गरज से अन्तरित कर दिया है और श्रीमती रीना तिवारी के नाम का उल्लेख भी बाद पत्र मे हो चुका है। चूंकि सम्पूर्ण विवादित सम्पत्ति पर पृतिवादी संख्या। जमाना दराज से काबिज दखील चले आ रहे है और पृतिवादी सं। उपरोक्त जमीन पर अपना तामीरात भी कर चुके है। और उस पर विद्यालय भी विगत काफी दिनो से चल रहा है। परिणाम स्वरूप: विवादित जमीन न तो कभी पूर्व बादीगण के कब्जा मे रही और न ही उस पर श्रीमती रीना तिवारीमजकूर का कभी कोई कब्जा हो पाया। यद्यपि कि मूल बाद के पूर्व बादीगणने

AN

01/01/96

1335/2

ने विवादित जमीन को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बैनामा वहक

श्रीमती रीना त्रिपाठी अन्तरित कर दिया है। और नुमाइसी तौर पर कब्जा दखल देने की बात कही है जो कि सरीही गलत व खिलाफ असलियत के है लम्बे अरसा से चलते हुये विवाद को देखकर और दोनों पक्षों का काफी व्यय होता देखकर उभय पक्षों के शुभचिन्तकों ने समझाने बुझाने का प्रयास किया जिस पर उभयपक्षों के शुभचिन्तकों के समझाने बुझाने पर पक्षों ने मुनासीब समझा कि प्रस्तुत मुकदमा को संधि के आधार पर तय कर लेवे।

श्रीमती रीना त्रिपाठी मजकूर ने प्रस्तुत मुकदमा को सुलह करने के लिये एव अपने आपको विवादित जायदाद से लावास्ता करने के लिये एव अपने आपको विवादित जायदाद से लावास्ता करने के लिये अपने हरजा खरचा के रूप मे प्रतिवादी सं0 1। विद्यालय से मु मुबलिग 20,00,000/- रूपया (पच्चास लाख रूपया) की मांग माह नवम्बर सन 1997 मे किया और कहा कि यदि उन्हे मु० 50,000,00/- रूपया (पच्चास लाख रूपया) की धनराशि प्रतिवादी संख्या। विद्यालय को अदा कर देवे तो वे अपने आपको विवादित जायदाद से लावास्तवा व लाताल्लुक कर लेवेगी।

चूंकि विवादित जायदाद के पूरे हिस्से पर प्रतिवादी स0 1 का तामीरात बहुत पहले हो चुका है और उसमे विद्यालय चल रहा है और मुकदमा लड़ने मे काफी जेरबारी व परेशानी प्रतिवादी सं० 1

को हो रही थी तथा सार्वजनिक धन का नुकसान हो रहा था इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ने उपरोक्त माँग की गयी धनराशि को देना स्वीकार कर लिया लेकिन चूंकि प्रतिवादी सं. 1 एक सामाजिक संस्था है और विद्यालय चलाती है इसलिये एक मुश्त मुबलिग 50,000,00/- [पच्चास लाख रुपया] दिया जा पाना सम्भव नहीं था इस कारण से उपरोक्त धनराशि को 8 महीने के अन्दर किस्तो मे अदा कर देने के लिये श्रीमती रीना तिवारी मजकूर से कहा जिस पर वे तैयार हो गयी और तय यह हुआ कि सम्पूर्ण धनराशि मुबलिग 50,000,00/- [पच्चास लाख रुपया] अदा कर दिये जाने के पश्चात वह वादीगण से मुकदमा को सुलह कर लेवेगी और अने आपको विवादित जमीन से लावास्ता व लातालुक कर लेवेगी और अने आपको विवादित जमीन से लावास्ता व लातालुक कर लेवेगी । इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ने मुबलिग 50,000,/- [पच्चास हजार रुपया] जरिये चेक संख्या 961318 दिनांकित 25-11-97 जो पंजाब नेशनल बैंक, गोरखनाथ शाखा गोरखपुर का है, श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला को अदा कर दिया इसके उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से मुबलिग - 10,000,00 / [दस लाख रुपया] जरिये चेक संख्या 46080 दिनांक 15-12-97 फिर मुबलिग 950,000/- रुपया नौ लाख

---4---

लाख पच्चास हजार रूपया) जरिये चेक संख्या 518865 दिनांकित 9-2-98 फिर मुबलिग 50,000/- रूपया (पच्चास हजार रूपया) जरिये चेक संख्या 518866 दिनांकित 10-2-98 फिर मुबलिग 10,00,000/- (दस लाख रूपया) जरिये चेक संख्या 518455 दिनांकित 23-2-98 तथा मुबलिग 10,00,000/- रूपया दस लाख रूपया) जरिये चेक संख्या 518518 दिनांकित 2-5-98 फिर मुबलिग 9,50,000/- (नौ लाख पच्चास हजार रूपया) चेक संख्या 518527 दिनांकित 20-5-98 जो कि सभी यूको बैंक के है इस तौर पर कुल 7 चेक के जरिये मुबलिग 50,000,00 रूपया) पच्चास लाख रूपया की तय सुदा धनराशि प्रतिवादी संख्या 1 विद्यालय की ओर से श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला को अदा किया जा चुका है और उपरोक्त धनराशि के भुगतान होने के बाद से श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला ने अपने आपको जमीन नेजाक से लावारसता व लाताल्लुक कर लिया है और जैसा कि पूर्व से ही विवादित जमीन प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा मे रही है। और वह उसी रूप मे आज भी बदस्तुर साबिक चली आ रही है। जिस पर कि प्रतिवादी संख्या 1 का निर्माण है और प्रतिवादी सं० 1 द्वारा उस पर विद्यालय चलाया जा रहा है इस तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 और वादी संख्या 4 श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला के मध्य जो शर्तें सुलहनामा की तय हुयी है वे इस प्रकार है।

1332
5

सत्यप्त सुलहनामा

1- यह कि विवादित जमीन जिसे सलग्न नक्शा नजरी में रंग लाल से दिखाया गया है, प्रतिवादी सं. 1 विद्यालय की तनहा मिलकियत व मकबूजा होगी और उससे वादीनी सं. 4 श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला से एवं उनके वारिसान या कायम मुकामान से कोई वास्ता व सरोकार न है और न आइन्दा रहेगा ।

2- यह कि विवादित जमीन पर प्रतिवादी सं. 1 विद्यालय हर प्रकार के तामीरात करने के लिये स्वतंत्र होंगे और बतौर मालिक के उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे और जिसे चाहेंगे उसको अन्तरित करेंगे । इसमे वादीनी सं. 4 श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला या उनके वारिसान या उनके कायम मुकामान को किसी प्रकार का उज्र व एतराज करने का अधिकार नही होगा ।

3- यह कि वादीनी संख्या 4 श्रीमती रीना तिवारी ने मुब्लिग 50,000,00/- (पचास लाख रुपया) की रकम बेरुन अदालत जरिये भिन्न भिन्न चेक प्राप्त कर लिया है जैसा कि इस

---6-

सुलहनामा मे उल्लिखित भी किया जा चुका है और इस तौर पर उन्होने अपने आपको विवादित जायदाद से लाताल्लुक व लाताल्लुक कर लिया है ।

4- यह कि इस सुलहनामा के साथ दिये जा रहे नक्शा नजरी मे बरंग लाल से दर्शित भूखण्ड प्रतिवादी सं. 1 की तनहा मिलकियत व मकबूजा है और आइन्दा रहेगी ।

5- यह कि नक्शा नजरी मे दर्शित भूखण्ड व उस पर हुये निर्माण प्रतिवादी सं. 1 के निर्माण वे ही भूखण्ड व निर्माण है जो श्रीमती रीना तिवारी मजकूरा वाला के हक मे तहरीर हुये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांकित 26-4-1994 मे वर्णित है और जो कि इस सुलहनामा की तारीख से प्रतिवादी की तनहा मिलकियत व मकबूजा और वादीनी मजकूर व उनके वारिसान या कायम मुकामान से कोई वास्ता व सरोकार नही होगा ।

6- यह कि वाद संख्या 159/92 व 348/92 जो कि इस मुकदमा के साथ समेकित किया गया था को वादीनी द्वारा वापस ले लिया जा रहा है क्योकि उक्त दोनो मुकदमा को चलाने की कोई अब आवश्यकता नही रह गयी है ।

7- यह कि सलग्न नक्शा इस सुलहनामा का अंग समझा जायेगा ।

8- यह कि खारचा मुकदमा फरीकैन जिम्मे फरीकैन रहेगा ।

---7---

1335
6

अतः प्रार्थना है कि

प्रस्तुत सुलहनामा के आधार पर मुकदमा राजी फैसल किया जावे तथा इस सुलहनामा व सलग्न नकशा को डिग्री का भाग बनाया जावे ताकि न्याय होवे।

प्रार्थी:- प्रार्थी:-

सरस्वती विद्यामन्दिर श्रीमती रीना त्तिवारी

PROPERTY BELONING TO MRS. R INATRIPATHI
AT. ALINAGAR NORTH GORAKHPUR

1332
7

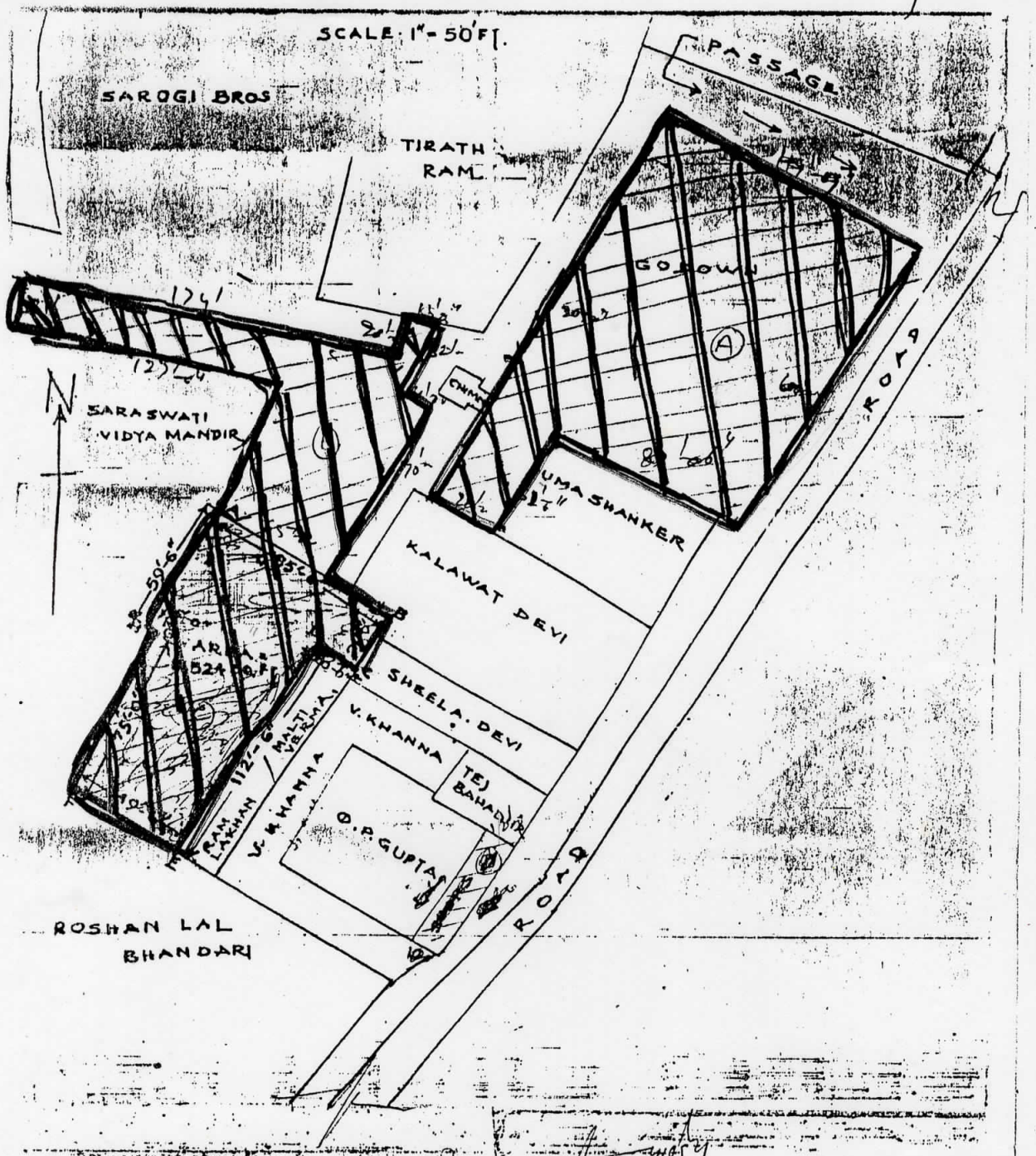

H. C. J. Form No. 29-Part IV

मूलवाद में आज्ञप्ति

(आदेश 20, नियम 7-6)

द्वितीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)

न्यायालय गोरखपुर स्थान जिला

मूलवाद संख्या 180/87

संस्थित-दिनांक 27 मास 11 सन् 1990 ई०

(1) Smt Kalindi Devi Mura[r]ka died during pendency of the suite Aged about 66 years wife of late Sri Makhan lal Murarka and mother of late Murari lal Murarka.

1/1- Banwari lal Murarka } All S/o Makhan lal Murarka
1/2- Sharad Kumar Murarka }

वादी

बनाम

2- Rahul Murarka aged about 19 years Son of late Murari Lal Murarka

3- Smt Bimla Murarka aged about 49 years wife of late Murari Lal Murarka

All Resident of 9/2 Fern Road Calcutta-19

प्रतिवादी

| न्यायालय का नाम .... |
| वाद संख्या .... |
| पक्षकारों के नाम .... |

टिप्पणी–जो पते ऊपर दिये गये हैं वह पक्षकारों ने को छोड़कर जो उपस्थित नहीं हुए तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

4- Reena Tewari adult w/o Sri Bhishma Shanker Tiwari Director, Gangotri enterprises Ltd. Registered office 500/50 R.B.L. Road old Hardrabad

के लिये दावा 36000/-

... plaintiffs.

सम्पत्ति

Saraswati vidya Mandir Gorakhpur through Secretary situated in Mohalla Alinagar North city Gorakhpur ——

– Relief –

1)– that the valuation of the suit for the purposes of Jurisdiction is fixed at Rs. 36000/- being the average annual net profit which may accrue for a similar premises and for damages for ... 7200/- annually total 10,800/- and for the payment of court fee being one fifth of Rs 3600/- equals 720/- for the relief of injunction and Rs. 3600/- for the relief of possession and for the relief of damages for use and occupation the court fee on 600/- is being paid tentatively and the actual court fee will be paid before the execution of the decree for damages till the date of actual possession being calculated at Rs 600/- per month.

1- that by a decree in favour of the plaintiffs against the defendants jointly and severally, the plaintiffs be put into possession over the premises marked red with the option of the defendants to get their structures and materials removed within the time fixed by the court in default the plaintiffs be put in possession through a civil court amin or a vakil commissioner appointed by the court at the cost of the defendants.

2. that by a decree of permanent injunction the defendants be restrained not to interfere in the possession of the plaintiffs or his agents and representatives in respect of the premises owned by the plaintiffs.

3- that by a decree of this court the defendants be ordered to pay 600/- per month as damages for use and occupation of the portion unauthorisedly occupied by them till the date of actual possession by the plaintiffs.

4- that the cost of the suit be awarded to the plaintiffs against the defendants.

5 – that any other reliefs to which the plaintiffs in the opinion of this honourable court be found entitled to may awarded in favour of the plaintiffs against the defendants.

– Relief –

1)- that the valuation of the Suit for the purposes of Jurisdiction is fixed at Rs. 36000/- being the average annual net profit which may accrue for a Similar premises and for damages for use ... 7200/- annually total 10,800/- and for the payment of court fee being one fifth of Rs. 3600/- equals 720/- for the relief of injunction and Rs. 3600/- for the Relief of possession and for the Relief of damages for use and occupation the Court fee on 600/- is being paid tentatively and the actual court fee will be paid before the execution of the decree for damages till the date of actual possession being calculated at Rs 600 per month.

1- that by a decree in favour of the plaintiffs against the defendants Jointly and Severally. the plaintiffs be put into possession over the premises marked red with the option of the defendants to get their structures and materials removed within the time fixed by the court, in default the plaintiffs be put in possession through a civil court amin or a vakil commissioner appointed by the court at the cost of the defendants.

2. that by a decree of permanent injunction the defendants be restrained not to interfere in the possession of the plaintiffs or his agents and representatives in respect of the premises owned by the plaintiffs.

3- that by a decree of this court the defendants be ordered to pay 600/- per month as damages for use and occupation of the portions unauthorisedly occupied by them till the date of actual possession by the plaintiffs.

4. that the cost of the Suit be awarded to the plaintiffs against the defendants.

5 - that any other Reliefs to which the plaintiffs in the opinion of this honourable court, be found entitled to may awarded in favour of the plaintiffs against the defendants.

पृ० 138

20 RS.

<u>मुख्तारनामा</u>

हम कि श्रीमती रीना तिवारी पत्नी श्री भीष्म शंकर तिवारी डाईरेक्टर गंगोत्री इण्टर प्राइजेज लि0 पंजीकृत कार्यालय 508/50 आर.वी.एच. रोड पुराना हेदरा बाद लखनऊ की हूँ । हाल मुकाम जटेपुर धर्मशाला बाजार शहर गोरखपुर ।

विदित हो कि हम मुकिरा जरिये दस्तावेज बैनामा दिनांक 26.4.94 निष्पादक श्री बनवारी लाल मुरारका वगेरह से गोरखपुर नगर के मुहल्ला- अलीनगर उत्तर में स्थित म्यूनिशिपल भवन सं0 7,9,10 व 14 पर स्थित निर्माण एवं उससे जुड़ी हुई भूमि खरीदा । इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में बाद संख्या 180/87 कालिन्दी देवी वगेरह बनाम सरस्वती विद्या मंन्दिर वगेरह बाद सं0 159/92 कालिन्दी देवी वगेरह बनाम सरस्वती विद्या मंन्दिर तथा वाद सं0 348/92 कालिन्दी देवी वगेरह बनाम सरस्वती विद्या मन्दिर वगेरह जो अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन (द्वितीय) गोरखपुर के न्यायालय में लम्बित है, व दीगर मुकादमात् में हम मुकिरा के लिए यह सम्भव नहीं हो पा रहा है कि हम मुकिरा इन मुकद्मात् की स्वयं पेरवी कर सकूँ। इसलिए हम मुकिरा श्री पियूष कुमार पाण्डेय पुत्र श्री रामदरश पाण्डेय निवासी मुहल्ला -बक्शीपुर शहर गोरखपुर को निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित करने के लिए अपना मुख्तारे आम अधिकृत, नामित एवं नियुक्त करती हूँ:-

रीना तिवारी

क्रमशः 2

20 Rs.

221.4.58

निवासी गोरखपुर में कब अपाव

26-5-58

Ahal kumar Khare
Advocate

26-5-58

20 Rs.

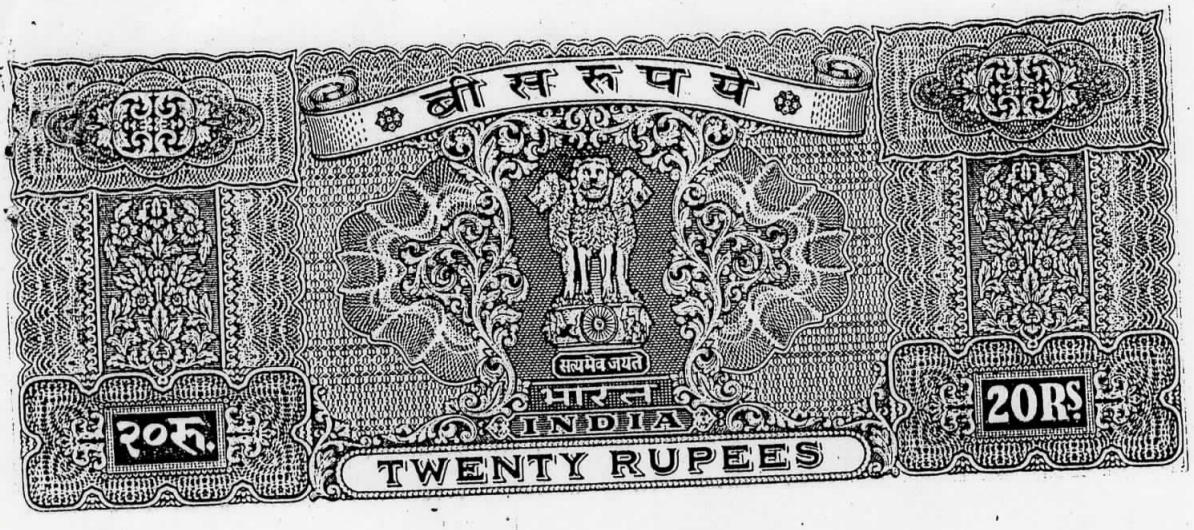

(1) यह कि उपरोक्त श्री पियूष कुमार पाण्डेय उपरोक्त वर्णित मुकद्मात् में हम मुकिरा की ओर से अधिवक्ता नियुक्त करेगें। ओर वकालतनामा पर हम मुकिरा की ओर से अपना हस्ताक्षर बनायेगें। हम मुकिरा की ओर जवाबदावा दाखिल करेगें ओर उस पर भी हम मुकिरा के तरफ से हस्ताक्षर करगें तथा सत्यापित करेगें तथा हम मुकिरा की तरफ से अपने हस्ताक्षर से शपथ–पत्र प्रार्थना–पत्र, आपत्ति , रि–ज्वाइन्डर एवं अन्य आवश्यक कागजात दाखिल करेगें।

(2) यह कि उपरोक्त पियूष कुमार पाण्डेय उपरोक्त मुकद्मात् में हम मुकिरा के तरफ से अपना बयान देगें, शपथ–पत्र देगें, साक्ष्य प्रस्तुत करेगें, साक्ष्य एवं सबूत दाखिल करने, उसे वापस लेगें। मुकद्मात की पेरवी के लिए जो भी कार्य आवश्यक होगा, वह सभी कार्य सम्पन्न करेगें।

(3) यह कि उपरोक्त श्री पियूष कुमार पाण्डेय उपरोक्त मुकदमात को सुलह करने के लिए बातचीत करेगें एवं सुलह कर सकेगें, सुलहनामा भी दाखिल कर सकेंगें और हम मुकिरा की तरफ सुलहनामा पर अपना हस्ताक्षर भी करेगें ओर उसे तसदीक करेगें।

(4) यह कि उपरोक्त श्री पियूष कुमार पाण्डेय उपरोक्त मुकद्मात में यदि आवश्यक हुआ तो अपील, निगरानी, याचिका आदि हम मुकिरा की तरफ से अपने हस्ताक्षर, से दाखिल करेगें और उसके लिए अधिवक्ता नियुक्त करेंगे। वकालतनामा पर हम मुकिरा की तरफ से अपना हस्ताक्षर करेगें, तथा शपथ –पत्र आदि अपने हस्ताक्षर से हम मुकिरा की तरफ से दाखिल करेगें।

(5) यह कि उपरोक्त श्री पियूष कुमार पाण्डेय यदि आवश्यक हुआ तो उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति क सम्बन्ध में हम मुकिरा की ओर से दावा दाखिल करेगें और जहां– जहां आवश्यक होगा मेरी तरफ से अपना हस्ताक्षर बनायेगें।

क्रमशः 3

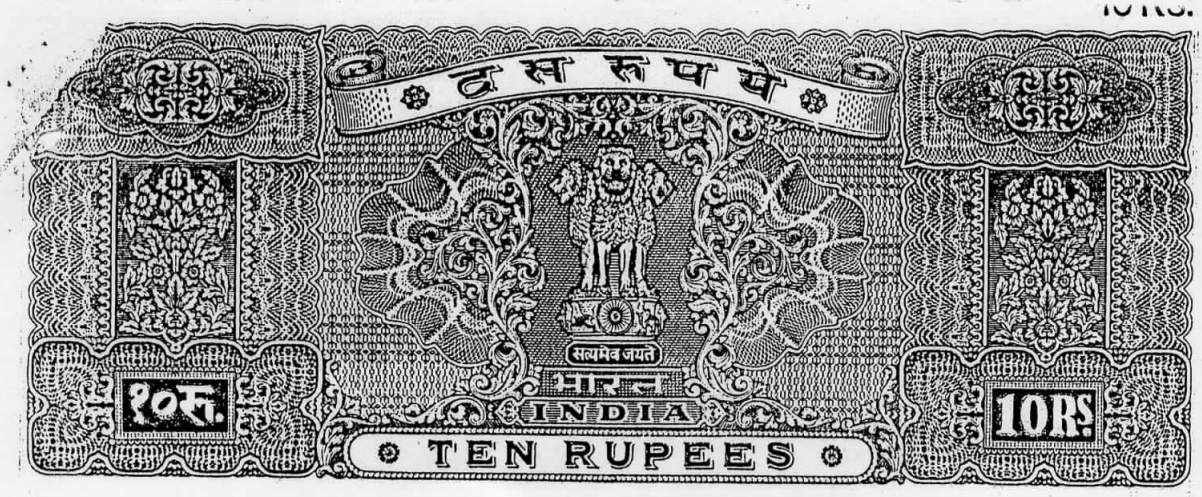

:3:

और उसे सत्यापित करेगें, वकील नियुक्त करेगें तथा हम मुकिरा के तरफ से वकालतनामा पर हस्ताक्षर करेगें, सबूत देगें, शपथ–पत्र और सबूत दाखिल करेगें, बयान देगें तथा सबूत को वापस प्राप्त करेगें।

{6} उपरोक्त पियूष कुमार पाण्डेय उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को बेचने के लिए ग्राहक से बातचीत करेगें और एडवांस प्राप्त करके एकरारनामा या मुहायदा वय सम्पादित करेगें तथा पूरी कीमत प्राप्त करके हम मुकिरा के तरफ से अपने हस्ताक्षर से विक्रय विलेख निष्पादित करेगें तथा विक्रय विलेख, अनुबन्ध विलेख एकबालदावा व वकालतनामा पर हम मुकिरा की ओर से अपना हस्ताक्षर करेगें तथा उपनिबन्धक कार्यालय में अपने हस्ताक्षर से विक्रय विलेख, अनुबन्ध विलेख प्रस्तुत करेगें।

{7} यह कि उपरोक्त श्री पियूष कुमार पाण्डेय द्वारा उपरोक्त मुकद्मात् में सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया गया सम्पूर्ण कृत्य मेरे द्वारा किया गया समझा जायेगा और उसकी पूरी पाबन्दी हम मुकिरा पर होगी, तथा बहेसियत मुख्तारेआम किये गये प्रत्येक कार्य व हस्ताक्षर की पूरी पाबन्दी हम मुकिरा पर होगी । तथा हम मुकिरा की ओर से किया गया कार्य व हस्ताक्षर माना जायेगा ।

लेहाजा हम मुकिरा खूब सोच समझ कर बखुशी व रजामन्द बदुरूस्ती होश व हवाश बिला किसी जब्र व दबाव दीगरे अपने अक्ल व आजाद राय से यह दस्तावेज मुख्तारनामा लिख दिया कि वक्त जरूरत पर काम आवे व सनद रहे। वाजा हो कि यह दस्तावेज खण्डनीय है।

[signature]

गा– Achal kumar Khare
Advocate
Civil Court
Gorakhpur

गा० Achyutta Nand Shukla.
Advocate.
civil court Gorakhpur

प्रारूपणकर्ता – अच्युता नन्द शुक्ला एडवोकेट .

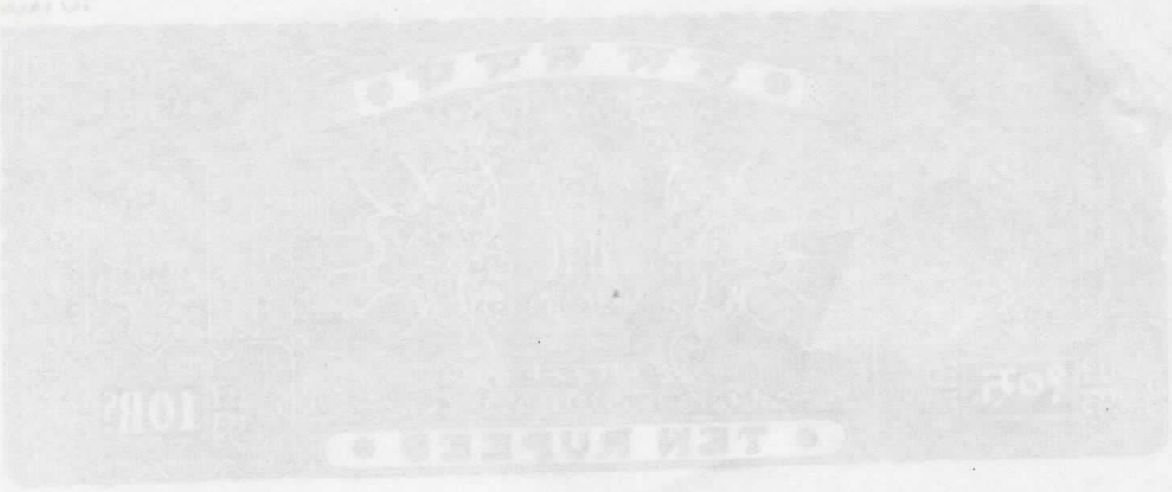

न्यायालय सि० ज० जू०डि० गोरखपुर

वाद सं. 1852/13

बनवारी लाल मुरारका vs सरस्वती विद्यामंदिर

गोरखपुर
उत्तर-प्रदेश

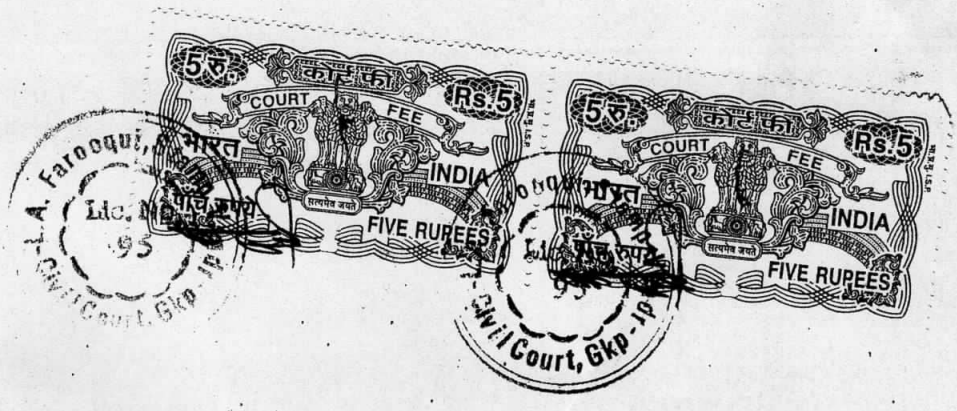

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date or which application is made for copy is made for copy accompanied by the quisite stamp	नोटिस बोर्ड पत्र नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तारीख Date of delivery of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivery copy
8-5-14	22-5-14	24/05/14	24/05/14

32

28

-5-14

न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गोरखपुर ।

उपस्थित :— स्नेह लता सिंह ,

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

141 क
1

मूलवाद संख्या 1852 / 13

1:— बनवारी लाल मुरारका ।
2:— शरद मुरारका । पुत्रगण स्वर्गीय मक्खन ।
3:— प्रदीप मुरारका । लाल मुरारका । जरिये बनवारी लाल
4:— राहूल मुरारका पुत्र स्वर्गीय मुरारी लाल मुरारका । मुरारका मुख्तारेआम
निवासी 9 / 2 फर्न रोड कलकत्ता 19 ।

वादीगण

बनाम

सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर उत्तरी ,गोरखपुर जरिये प्रबन्धक /मंत्री रामदेव तुलस्यान पुत्र स्वर्गीय प्रभुदयाल तुलस्यान ।

प्रतिवादी

निर्णय

वादीगण ने वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया है कि बसदूर डिक्री वहक प्रतिवादीगण प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे जमीन वंरग लाल नक्शा दावा से अपना निर्माण हटवाकर जमीन खाली करके उस पर कब्जा दखल वादीगण को दे दिया जावे और यदि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय द्वारा निश्चित समय में न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किया जाय तो जरिये अदालत डिक्री का अनुपालन करा दिया जाय ।

वादपत्र के अनुसार संक्षेप मे अभिकथन इस प्रकार है कि पट्टा विलेख दिनाक 13.9.1944 व संशोधित विलेख दिनाक 09.6.1947 को मसदूल हक ने वंशीधर मुरारका को निष्पादित किया था और वादहू वंशीधर मुरारका से उक्त सम्पत्ति जरिये सिविल जज गोरखपुर वाद संख्या 3 / 54 के इजरा नम्बर 52 / 1961 में हुए निलामी दिनाक 10.7.1962 से उसे मुरारी लाल मुरारका ने कय किया था और सिविल जज गोरखपुर द्वारा मुरारी लाल मुरारका के पक्ष में बिक्री प्रमाण—पत्र दिनाक 20.12.1962 जारी हुआ था मुरारी लाल मुरारका जो सम्पत्ति के पट्टा धारक व निर्माण के स्वामी के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर वादीगण सम्पत्ति भूमि के पट्टाधारक व निर्माण के स्वामी हुए सम्पत्ति जिसे वंरग लाल नक्शा दावा में दिखाया गया है और सूची अ में वर्णित उपरोक्त सम्पत्ति का एक अंश है। वादीगण गोरखपुर में नही रहते है और कलकत्ता में अधिकतर रहते है। वादी संख्या 1 द्वारा गोरखपुर प्रवास के दौरान जब प्रश्नगत सम्पत्ति को देखने गया तो यह देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ कि प्रतिवादी ने जिनका विद्यालय प्रश्नगत सम्पत्ति के सटे पश्चिम स्थित है कि दिवाल को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और उस पर सेड डालकर स्कूल के प्रयोग में कर लिया गया है जबकि इस सम्पत्ति को वादीगण ने किसी प्रकार का कोई अन्तरण नही

किया है। वादीगण ने प्रतिवादी से अनुरोध किया कि वे अपना निर्माण हटाकर जगीन को खाली कर देवें और वादीगण को कब्जा दखल वापस दे देवें परन्तु वे ऐसा करने से मना कर रहें है इस कारण यह दावा जरूरी है । न्याय की दृष्टि से आवश्यक है कि प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वे अपने निर्माण को हटवा कर जमीन खाली करके कब्जा दखल वादीगण को देवे । वादी संख्या 2 ता 4 के वादी संख्या –1 मुख्तारेआम है और उन्हें वादी संख्या –1 को वादी संख्या –2 ता 4 की तरफ से वादपत्र हस्तान्तरित व सत्यापित करने एंव हर प्रकार का पैरवी करने का अधिकार प्रांप्त है।

प्रतिवादीगण ने प्रतिवादपत्र कागज संख्या 10क प्रस्तुत करते हुए वादपत्र की धारा 1 एंव 2 स्वीकार करते हुए शेष सभी अभिकथनों को अस्वीकार किया है । अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि वादीगण को कोई आधार दावा खिलाफ प्रतिवादी प्राप्त नही है जो आधार प्रेषित किया गया है वह पूर्णतः गलत है दावा पोषणीय नही है वाद का मूल्यॉकन गलत किया गया है और न्यायशुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है कालबाधित है वाद में मौन सहमति व विवन्धन का दोष है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा व निर्माण लगातार पिछले 25 साल से कायम चला आ रहा है और प्रतिवादी विद्यालय का गोदाम बना हुआ है जिसे वादीगण बराबर देखते चले आ रहें है परन्तु उनके द्वारा कभी आपत्ति नही की गयी यदि किसी प्रकार से प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वादीगण का पाया जावे तो भी चूंकि पिछले 25 साल से प्रतिवादी का निर्माण व कब्जा कायम चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी जरिये एडवर्स पजेशन जमीन के स्वामी हो चुके है और उसे हटवाने का कोई अधिकार वादीगण को प्राप्त नही है। प्रतिवादी एक प्रतिष्ठित विद्यालय है और उसने वादीगण से विद्यालय निर्माण हेतु भूमि कय किया था और वादहू वादीगण के अन्तरी से भी भूमि कय किया है और काफी बड़ा विद्यालय निर्मित है इसी सिलसिले में प्रश्नगत भूमि पर भी वादी का निर्माण व कब्जा चला आ रहा है। वादी द्वारा दाखिल वाद पूर्ण रूप से गलत है और लायक खारिजी के है। दावा हर प्रकार से सव्यय खारिज होने योग्य है ।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत वाद में निम्नलिखित विवाद्यक बनाये गये :–

1:– क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर जमीन वंरग लाल नक्शा दावा से निर्माण हटवाकर जमीन खाली करके उस पर कब्जा दखल प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हॉ तो प्रभाव ?

2 क्या वाद अवधि बाधित है ?

3:– क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

4:– क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

5:– क्या वाद मौन सहमति व विवन्धन के दोष से बाधित है ?

27.04.17

6:— क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वादी पक्ष से बतौर पीडब्लू0—1 वादी स्वंय बनवारी लाल मुरारका ने अपना साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 12क2 एंव प्रतिवादी की ओर से बतौर डी0डब्लू0—1 प्रतिवादी रामदेव तुलस्यान ने स्वंय का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 13क2 प्रस्तुत करके परीक्षित कराये है।

पक्षकारों द्वारा कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

मैने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

निष्कर्ष

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 1:— यह वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादीगण वादपत्र में वर्णित आधारों पर जमीन वंरग लाल नक्शा दावा से निर्माण हटवाकर जमीन खाली करके उस पर कब्जा दखल प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हॉ तो प्रभाव ?इस वादबिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

वादी ने अपने साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या 12क में वादपत्र में कहे गये कथन का समर्थन किया है दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि प्रतिवादीगण का निर्माण काफी पुराना है परन्तु उसे जानकारी अब हुई है। प्रतिवादी को कुछ हिस्सा जमीन बहुत पहले बैनामा किया था जिस पर स्कूल बना है लेकिन जिस जमीन पर निर्माण है वह बैनामा नही किया है स्कूल की बिल्डिंग 20—30 साल पुराना है चूँकि स्कूल बच्चों का है इसलिए प्रतिवादी के निर्माण को तोड़वाना नही चाहते है।

प्रतिवादीगण ने भी प्रतिवादपत्र में कहे गये कथन का समर्थन अपने साक्ष्य शपथपत्र 13क में किया है दौराने प्रतिपरीक्षा कथन किया है कि प्रश्नगत जमीन पर निर्माण पिछले 25 साल से चला आ रहा है लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नही है जिससे विवादित सम्पत्ति के स्वामित्व का निर्धारण हो सके । अतः वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि वादी वादपत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का स्वामी है और उस पर स्थित निर्माण ~~कब्जा~~ वह गिराकर कब्जा दखल प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः यह वादबिन्दु वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 2

यह वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद अवधि बाधित है ? इस वादबिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नही किया है जिससे यह ~~साबित~~ हो कि वाद अवधि बाधित है । इस कारण यह वाद कालबाधित नही है। अतःयह वादबिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

21.04.14

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 3:–

यह वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?इस वादबिन्दु का निस्तारण 10.4.14 को किया गया है उक्त आदेश इस निर्णय का अंश होगा ।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 4:–

यह वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है किक्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ? इस वादबिन्दु का निस्तारण 10.4.14 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश होगा ।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 5:–

यह वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद मौन सहमति व विवन्धन के दोष से बाधित है ?इस वादबिन्दु पर बहस के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कोई बल नही दिया है। अतः यह वादबिन्दु प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है ।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 6:–

यह वादबिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एंव परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा वादबिन्दु संख्या–1 के निस्तारण से भी स्पष्ट हो चुका है कि वादी याचित अनुतोष तो प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे।

दिनांक / गोरखपुर
अप्रैल 21 ,2014

(स्नेह लता सिंह)
सिविल जज ,जूनियर डिवीजन ,
गोरखपुर ।

यह निर्णय आज [redacted] न्यायालय में हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक / गोरखपुर
अप्रैल 21,2014

(स्नेह लता सिंह)
सिविल जज ,जूनियर डिवीजन ,
गोरखपुर ।

[redacted]

न्यायालय सि० ज० जू०डि० गो०
वाद सं० 1852/13
बनवारी लाल मुरारका V/s सरस्वती विद्या मन्दिर

गोरखपुर
उत्तर-प्रदेश

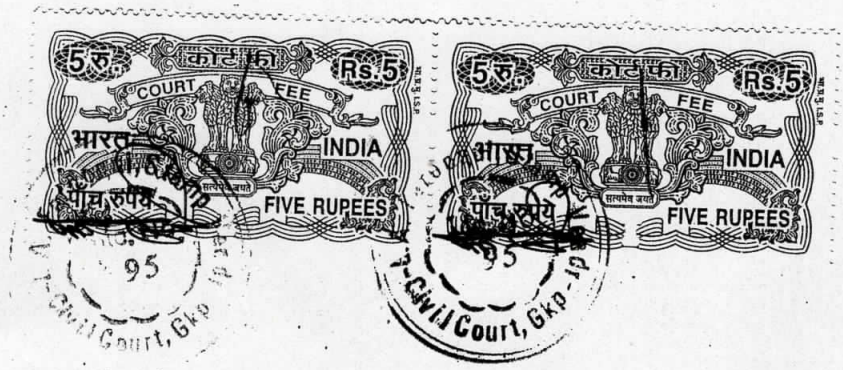

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पत्र नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
Date or which application is made for copy is made for copy accompanied by the quisite stamp	Date of posting notice on notice board	Date of delivery of copy	Signature of official delivery copy
8-5-14	22-5-14	23-5-14	23-5-14

32
5-14

H.C.J. Form No. 29 Part IV

151/5

मूलवाद में अज्ञप्ति

(आदेश 20 नियम 7–6)

न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्थान गोरखपुर जिला

मूलवाद संख्या 1852/13

संस्थित–दिनांक 18 मास 12 सन् 2013 ई0

1- बनवारी लाल मुरारका पुत्र स्व० मक्खन लाल मुरारका
2- शरद मुरारका
3- प्रदीप मुरारका } पुत्रगण स्व० मक्खन मुरारका
4- राहुल मुरारका पुत्र स्व० मुरारीलाल मुरारका } जरिए बनवारीलाल मुरारका मुख्तारे आम
निवासीगण – 9/2 फर्न रोड कलकत्ता –19 ~~वादी~~

——— वादीगण

बनाम

सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर उत्तरी गोरखपुर
जरिए प्रबन्धक/मंत्री राम देव तुलस्यान पुत्र स्व० प्रभुदयाल तुलस्यान

——— प्रतिवादी

न्यायालय का नाम ....
वाद संख्या ....
पक्षकारों के नाम ....

~~प्रतिवादी~~

को छोड़कर

टिंप्पणी–जो पते ऊपर दिये गये है वह पक्षकारों में जो उपस्थित नहीं हुए तामील के प्रयोजन से दाखिल किये है।

मालियत के लिये दावा

यह कि वाद का मूल्यांकन मुब० 5000/- रुपया कीमत ~~सम्पत्ति प्रभावित~~ के है जिसमें जमीन की कीमत मुब० 2000/- रु० व निर्माण की कीमत मुब० 3000/- रु० और चूंकि दावा इस आशय का है कि प्रतिवादी अपने निर्माण हटवा कर जमीन खाली करके कब्जा दखल वादीगण को दे देवें।

"X" शेष पृष्ठ 4 पर

गोरखपुर
उत्तर-प्रदेश
[illegible]

(2)

शादी के लिये श्री [illegible] एडवोकेट अभिवक्ता को

और प्रतिवादी के लिये श्री बृजनाथ प्रसाद एडवोकेट अभिबक्ता

को उपस्थिति में इस वाद के आज दि० 21-4-14 श्रीमती स्नेहलता सिंह सिविल जज (जूनियर डिवीजन) [illegible]

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर यह आदिष्ट और अज्ञाप्त किया जाता है कि–

वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

पक्षकार अपना - अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

और इस वाद के खर्च मद्दे रुपये की राशि आज की तारीख से ज्ञापन की तारीख

पर तक उस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित

दुबारा को दी जाये।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के सहित आज दिनांक 02 मास [illegible] सन 2014 ई0

को दी गई।

(i) डिक्री पर निर्णय का दिनांक - 21.04.14

(ii) डिक्री पर P.O. के हस्ताक्षर का दिनांक 02.5.14

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)

[illegible]

वाद के खर्च

वादी	रु0	पै0	प्रतिवादी	रु0	पै0
1. वाद पत्र के लिए मुद्रांक			1. शक्ति–पत्र के लिए मुद्रांक		
2. शक्ति–पत्र के लिए मुद्रांक			2. याचिका के लिये मुद्रांक		
3. प्रदर्शितों के लिए मुद्रांक			3. अधिवक्ता की फीस		
4. अधिवक्ता की फीस रु0 मद्द			4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय			5. आदर्शिकाओं की तामील		
6. कमीशन निष्पादन की फीस			6. कमीशन निष्पादन की फीस		
7. आदेशिका की तामील					
जोड़			जोड़		

मुन्सरिम के हस्ताक्षर

वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

प्रतिवादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर

पी0एस0यू0पी0 (वा0) 1 एच0सी0जे0–09.09.09–1,00,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

(5)

४. इसलिए न्याय शुल्क कीमत जमीन रुपया 2000/- पर अदा करना है जो अदा किया जा रहा है।

दादरसी

1- यह कि बसदूर डिक्री बहक प्रतिवादीगण प्रतिवादी को आदेशित किया जाये कि वे जमीन वांग लाल नक्शा दावा से अपना निर्माण हटवा कर जमीन खाली करके उसपर कब्जा दखल वादीगण को दे दिया जावे / और यदि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय द्वारा निश्चित समय सीमा में न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किया जाय तो जरिए अदालत डिक्री का अनुपालन करा दिया जाय/

2- यह कि खर्चा मुकदमा हम वादीगण को खिलाफ प्रतिवादी से दिलाया जावे/

3- यह कि अलावा या बजाय उपरोक्त दीगर दादरसी वादीगण जिस किसी अन्य दादरसी का मुस्तहक करार पाया जावे तो उसकी भी डिक्री हम वादीगण खिलाफ प्रतिवादी से दिलाया जाय/

सम्पत्ति सूची 'अ' जमीन वांग लाल स्थित तरंग हाकीफ रोड अलीनगर उत्तरी शहर-गोरखपुर जिसका कुल रकबा 0.374 वर्ग फुट है जो उत्तर से दक्षिण 17 फीट और जो पूरब से पश्चिम 22 फीट है जिसकी चौहद्दी निम्न लिखित है।

पूरब - पैसेज बादहू दुकानात सम्पत्ति ओम प्रकाश पाण्डेय/
पश्चिम - सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महा विद्यालय आर्यनगर उत्तरी शहर गोरखपुर/
उत्तर - मकान उत्तम मुरारका/
दक्षिण - दुकान व सम्पत्ति ओम प्रकाश पाण्डेय/

नक्शा नजरी

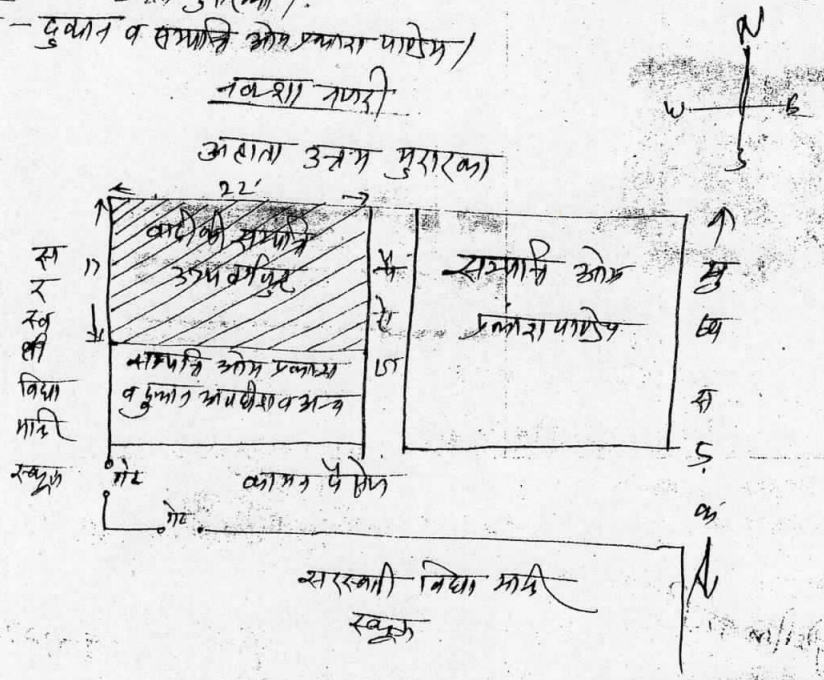

67

न्यायालय सिविल जज (जू० डि०) गो०

वाद सं० 1852/13

बनवारी लाल Vs सरस्वती विद्यामन्दिर

गोरखपुर

उत्तर-प्रदेश

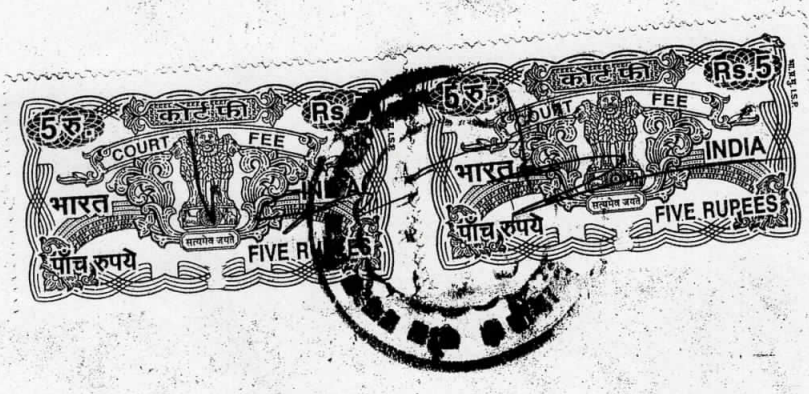

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पत्र नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
Date or which application is made for copy is made for copy accompanicd by the quisite stamp	Date of posting notice on notice board	Date of delivery of copy	Signature of officil delivering copy
9-5-14	22-5-14	23/05/14	23/05/14

28

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज {जू0डि0} महोदय, जनपद. गोरखपुर।

वाद संख्या- 1852/2013

1. बनवारी लाल मुरारका पुत्र स्वर्गीय मक्खन लाल मुरारका

2. शरद मुरारका । पुत्रगण स्वर्गीय मक्खन लाल मुरारका | जरिये बनवारीलाल मुरारका मुख्तारेआम

3. प्रदीप मुरारका ।

4. राहुल मुरारका पुत्र स्वर्गीय मुरारी लाल मुरारका

निवासीगण -9/2 फर्न रोड कलकत्ता-19

---{वादीगण}

--:बनाम:---

सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर उत्तरी, गोरखपुर जरिये प्रबन्धक/मंत्री रामदेव तुलस्यान पुत्र स्वर्गीय प्रभुदयाल तुलस्यान

-----{प्रतिवादी}

वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं:-

1. यह कि पट्टा विलेख दिनांक. 13.9.1944 व संशोधित विलेख दिनांक 09.6.1947 जो मसूदूल हक ने वंशीधर मुरारका को निष्पादित किया था और वादहू वंशीधर मुरारका से उक्त सम्पत्ति जरिये सिविल जज गोरखपुर वाद संख्या- 3/54 के इजरा नम्बर- 52/1961 में हुए नीलामी दिनांक. 10.7.1962 से उसे मुरारी लाल मुरारका ने क्रय किया था । और सिविल जज गोरखपुर द्वारा मुरारी लाल मुरारका के पक्ष में विक्री प्रमाण-पत्र दिनांक. 20.12.1962 जारी हुआ था ।

-2

2. यह कि मुरारी लाल मुरारका जो सम्पत्ति के पट्टा धारक व निर्माण के स्वामी के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर वादीगण सम्पत्ति के भूमि के पट्टाधारक व निर्माण के स्वामी हुए ।

3. यह कि सम्पत्ति जिसे वरंग लाल नक्शा दावा में दिखाया गया है और सूची-"अ" में वर्णित है उपरोक्त सम्पत्ति का एक अंश है ।

4. यह कि वादीगण गोरखपुर में नहीं रहते हैं और कलकत्ता में अधिकतर रहते हैं ।

5. यह कि वादी संख्या-1 द्वारा गोरखपुर प्रवास के दौरान जब प्रश्नगत सूचने को देखने के लिये गया तो यह देखकर उसे काफी आश्चर्य हुआ कि प्रतिवादी ने जिनका विद्यालय प्रश्नगत सूचने के सटे पश्चिम स्थित है कि दिवाल को तोड़कर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और उस पर सेड डालकर स्कूल के प्रयोग में कर लिया गया है । जबकि इस सम्पत्ति को वादीगण ने किसी प्रकार का कोई अन्तरण नहीं किया है ।

6. यह कि वादीगण ने प्रतिवादी से अनुरोध किया कि वे अपना निर्माण हटाकर जमीन को खाली कर देवे, और वादीगण को कब्जा दखल वापस दे देवें परन्तु वे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। इस कारण यह दावा जरूरी है ।

7. यह कि न्याय की दृष्टि से आवश्यक है कि प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे

ने अपने निर्माण को हटवा कर जमीन खाली करके कब्जा दखल वादीगण को देवें ।

8. यह कि वादी संख्या- 2 ता 4 के वादी संख्या-1 मुख्तारेआम हैं और उन्हे वादी संख्या- 1 को वादी संख्या- 2 ता 4 की तरफ से वाद-पत्र हस्ताक्षरित व सत्यापित व प्रस्तुत करने एवं हर प्रकार का पैरवी करने का अधिकार प्राप्त है ।

9. यह कि आधार दावा अन्तिम सप्ताह नवम्बर-2013 जब वादीगण ने देखा कि प्रतिवादी द्वारा कब्जा करके निर्माण कर लिया गया है और वादहू निर्माण हटाकर कब्जा देने से इनकार करने के कारण व मुकाम मुहल्ला-अलीनगर उत्तरी, तहसील- सदर, जनपद- गोरखपुर अन्दर अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय के उत्पन्न हुआ ।

10. यह कि वाद का मूल्यांकन मुबलिग-05,000/- रूपया कीमत सम्पत्ति प्रभावित के है जिससे जमीन की कीमत मुबलिग-2000/- रूपया व निर्माण की कीमत मुबलिग-3000/- रूपया और चूंकि दावा इस आशय का है कि प्रतिवादी अपने निर्माण हटाकर जमीन खाली करके कब्जा दखल वादीगण को दे देवें। इसलिए न्याय शुल्क कीमत जमीन अदा करना है जो अदा किया जा रहा है ।

दादरसी
========

(अ) यह कि बसदूर डिक्री बहक प्रतिवादीगण प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे जमीन बरंग लाल नक्शा दावा से अपना निर्माण हटवाकर जमीन खाली करके उस पर कब्जा दखल वादीगण को दे दिया जाये। और यदि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय द्वारा निश्चित समय सीमा में न्यायालय के आदेश का अनुपालन न किया जाय तो जरिये अदालत डिक्री का अनुपालन करा दिया जाय।

(ब) यह कि खर्चा मुकदमा हम वादीगण को खिलाफ प्रतिवादी से दिलाया जाय।

(स) यह कि अलावा या बजाय उपरोक्त दिगर दादरसी वादीगण जिस जिस किसी अन्य दादरसी का मुस्तहक करार पाया जावे तो उसको भी डिक्री हम वादीगण खिलाफ प्रतिवादी से दिलाया जाय।

सम्पत्ति सूची- " अ " जमीन बरंग लाल स्थित तरंग टाकीज रोड अलीनगर उत्तरी शहर, गोरखपुर जिसका कुल रकबा 0.374वर्ग फीट है। जो उत्तर से दक्षिण 17 फिट और जो पूरब से पश्चिम 22फीट है। जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है।

पूरब - पटरी, बादहू दुकानात सम्पत्ति ओम प्रकाश पाण्डेय

-5

पश्चिम - सरस्वती विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय आर्यनगर

उत्तरी शहर गोरखपुर ।

उत्तर - मकान उत्तम मुरारका

दक्षिण - दुकान व सम्पत्ति ओम प्रकाश पाण्डेय

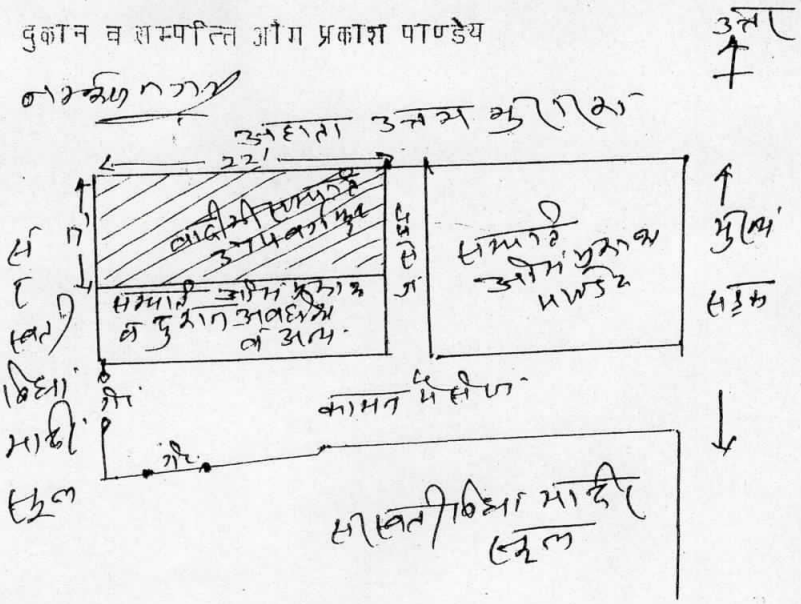

हम कि बनवारी लाल मुरारका

वादी संख्या. 1 तस्दीक करता हूँ कि

वाद. पत्र का पैरा- 1 ता 8 मेरी

व्यक्तिगत जानकारी से वो पैरा. 9

वो 10 कानूनी राय से सच एंव सही है।

बमुकाम. : दीवानी कचहरी गोरखपुर।

दिनांक. 18 . 12. 2013

वादीगण/प्रार्थीगण

1. बनवारी लाल मुरारका

2. शरद मुरारका

3. प्रदीप मुरारका

4. राहुल मुरारका

-----वादीगण

दिनांक. 18 . 12. 2013

न्यायालय सिविल जज (जू० डि०), गो०

वाद सं० 1852/13

बनवारी लाल VS सरस्वती

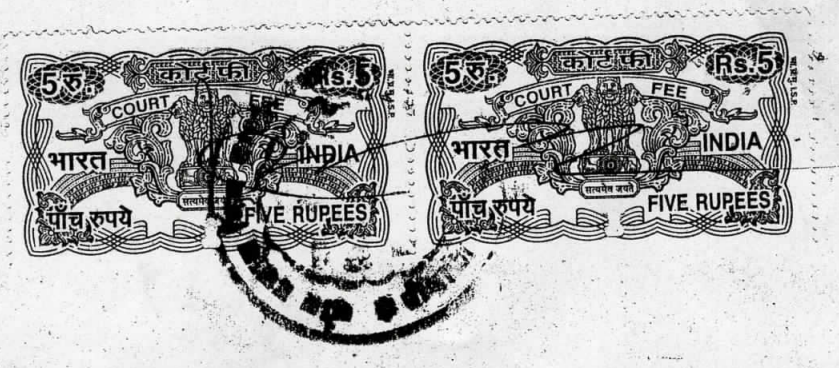

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पत्र नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
Date or which application is made for copy is made for copy accompanicd by the quisite stamp	Date of posting notice on notice board	Date of delivery of copy	Signature of offici delivering copy
9-5-14	22-5-14	23/5/14	23/5/14

28

20.2.14

1015

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन गोरखपुर

वाद संख्या 1852/13

बृजभान प्रसाद
मुद्रांकित
दीवानी कचहरी, गोरखपुर

बनवारी लाल आदि - बनाम - सरस्वती विद्या मंदिर

जबाबदेही मिनजानिब प्रतिवादी

1. यह कि पैरा 1 व 2 वादपत्र स्वीकार है।

2. यह कि पैरा 3 वाद पत्र स्वीकार है।

3. यह कि पैरा 4 वाद पत्र स्वीकार नही है।

4. यह कि पैरा 5 वाद पत्र स्वीकार नही है।

5. यहकि पैरा 6 वाद पत्र से इनकार है।

6. यह कि पैरा 7 वाद पत्र से इनकार है।

7. यहकि पैरा 8 वाद पत्र स्वीकार नही है।

8. यह कि पैरा 9 वादपत्र से इनकार है।

9. यहकि पैरा 10 वाद पत्र स्वीकार नही है कोई दादरसी भी स्वीकार नही है।

अतिरिक्त कथन

10. यह कि वादीगण को कोई आधार दावा खिलाफ हम प्रतिवादी प्राप्त नही है जो आधार प्रेषित किया गयाहै वह पूर्णतः गलत है।

11. यहकि वाद पोषणीय नही है।

12. यह कि वाद का मूल्यांकन गलत कियागया है और न्याय शुल्क अपर्याप्त अदा किया गया है।

13. यहकि वाद अवधि बाधित है।

..2

14. यह कि दावे में मौन सम्मति व विबन्धन का दोष है ।

15. यहकि वादी का यह कहना कि वे कलकत्ता में रहते है इस कारण उन्हें प्रतिवादी द्वारा किये गये निर्माण की जानकारी नहीं रही है और उन्हें सर्व प्रथम जानकारी नवम्बर 2013 में हुई है पूर्णत: गलत व झूठ है ।

16 यह कि वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा व निर्माण लगातार पिछले 25 साल से कायम चला आ रहा है और प्रतिवादी विद्यालय का गोदाम बना हुआ है जिसे वादीगण बराबर देखते चले आ रहे है परन्तु उनके द्वारा कभी आपत्ति नहीं की गयी ।

17. यह कि यदि किसी प्रकार से प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व वादीगण का पाया जावे तो भी चूंकि पिछले 25 साल से प्रतिवादी का निर्माण व कब्जा कायम चला आ रहा है इसलिये प्रतिवादी जरिये एडवर्स पजेशन जमीन के स्वामी हो चुके है और उसे हटवाने का कोई अधिकार वादीगण का प्राप्त नहीं है ।

18. यह कि प्रतिवादी एक प्रतिष्ठित ~~विद्यालय~~ विद्यालय है और उसने वादीगण से विद्यालय निर्माण हेतु भूमि क्रय किया था और बादहू वादीगण के अन्य से भी भूमि क्रय किया है और काफी बड़ा विद्यालय निर्मित है इसी सिलेसिले में प्रश्नगत भूमि पर भी वादी का निर्माण व कब्जा

.. 3

गलत आ रहा है।

19. यह कि वादी द्वारा दाखिल वाद पूर्णरूप से गलत है और लायक खारिजी के है।

20. यह कि दावा हर प्रकार से सव्यय खारिज होने योग्य है।

मैं रामदेव तुलस्यान प्रबन्धक तसदीक करता हूँ कि प्रतिवाद पत्र का पैरा 1 ता 15 ता 19 मेरे जाती इल्म से व पैरा 10 ता 14, 20 कानूनी राय से सही व सच है बमुकाम दीवानी कचहरी गोरखपुर। Ramdeo Tulsyan

मन्त्री
सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर

दिनांक 20/7/14

प्रार्थी
Ramdeo Tulsyan
सरस्वती विद्या मंदिर
जरिये मंत्री/प्रबन्धक
प्रतिवादी
मन्त्री Ramdeo Tulsyan
सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर

[signature] एडवोकेट
20/7/14

[stamp] 22/05/14
[stamp]

[stamp]

[stamp]

1012
3

चला आ रहा है।

19. यह कि वादी द्वारा दाखिल वाद पूर्ण रूप से गलत है और लायक खारिजी के है।

20. यह कि दावा हर प्रकार से सव्यय खारिज होने योग्य है।

मैं रामदेव तुलस्यान प्रबन्धक तसदीक करता हूँ कि प्रतिवाद पत्र का पैरा 1 ता 15 व 19 मेरे जाती इल्म से व पैरा 10 ता 14, 20 कानूनी राय से सही व सच है बमुकाम दीवानी कचहरी गोरखपुर। Ramdeo Tulsyan

मन्त्री
सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर

दिनांक 20/2/14

प्रार्थी
Ramdeo Tulsyan
सरस्वती विद्या मंदिर
जरिये मंत्री/ प्रबन्धक
प्रतिवादी
मन्त्री Ramdeo Tulsyan
सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय
आर्यनगर (उत्तरी) गोरखपुर

20/2/14

22/05/14